खण्ड-318, अंक-8
बुधवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1897
(6 अगस्त, 1975 ई0)

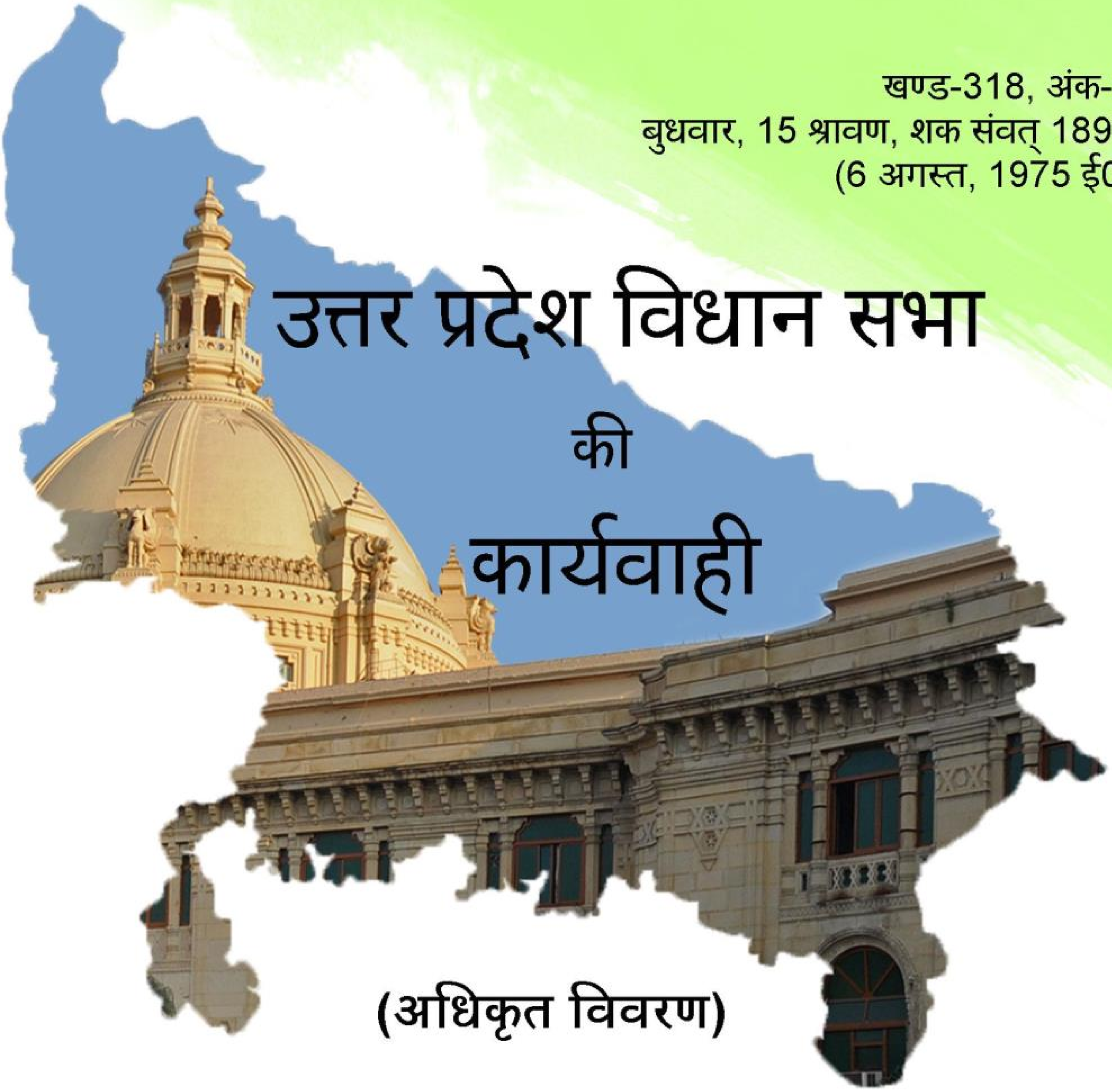

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 318 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६४५–६४८
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, १९७४ (सदन के पटल पर रखी गयी)	६४९
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७४, (सदन के पटल पर रखी गयी)	६४९
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७४-७५) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	६४९
अगले शनिवार को सदन की बैठक करने की सूचना ..	६५०
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७५ (पुरःस्थापित किया गया)	६५१
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण विधेयक, १९७५ (पुरःस्थापित किया गया)	६५१
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५ (पारित)	६५१–६७१
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ (पारित) ..	६७२–६७५
उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधि-स्थगन) विधेयक, १९७५ (पारित)	६७५–६८४
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ (पारित) ..	६८५–६८९
उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, १९७५ (पुरःस्थापित किया गया) ..	६८९
७ अगस्त, १९७५ को लिये जाने वाले कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना ..	६८९–६९०
नत्थियां	६९१–७०१

उत्तर प्रदेश सूचना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ६ अगस्त, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—२९०

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदयनाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)

चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण वन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री

भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मनीराम, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुरचन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री

राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालूराम, श्री
लोकपति, श्री
विजयकुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद सिंह, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुकमसिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, १९७४†

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या ३३१/तीस-२-८११-एन०-७२, दिनांक १४ मई, १९७४, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, १९७४ को, उसमें जारी किये गये शुद्धि-पत्र संख्या ३७०४/३०-२-८११-एन०-७२, दिनांक २० अगस्त, १९७४ सहित, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७४ †

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-४ की अधिसूचना संख्या १३६४/३०-चार-३२-पी-७४, दिनांक ९ मई, १९७५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७४ को, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७४-७५) का तृतीय प्रतिवेदन ††

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७४-७५) का तृतीय प्रतिवेदन जो खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में जो मुख्य सिफारिशें हैं उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये आपसे आज्ञा चाहता हूं। मान्यवर, यूं तो समिति ने इस सम्बन्ध में लगभग १४ सिफारिशें की हैं जिनमें अन्य महत्वपूर्ण सुझावों के अतिरिक्त यह संस्तुति भी की गयी है कि यदि सस्ते गल्ले एवं आवश्यक वस्तुओं की दूकानों के संचालन में तीन माह के भीतर निश्चित सुधार न हो तो वितरण के कार्य के लिये सरकार द्वारा एजेंट या कर्मचारी नियुक्त किये जायें अथवा मोहल्ला, गांव सभा के स्तर पर उपभोक्ताओं की समितियों का गठन करके सार्वजनिक वितरण का उत्तर-दायित्व उनको सुपुर्द किया जाय, तथा एक ही एजेन्सी को कृषकों से अनाज की वसूली, उन्हें बीज एवं खाद के वितरण तथा उनको सिंचाई व बिजली की कठिनाइयों आदि के निराकरण का दायित्व सौंपा जाय। दूसरे शब्दों में ऐसी एजेन्सी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन सभी मामलों में किसानों के प्रतिनिधि अथवा सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिये जिससे वे स्वेच्छा से अनाज की वसूली में अपना योगदान दें।

मान्यवर, मैं समिति की ओर से श्री बी० बी० टन्डन, आयुक्त एवं सचिव, खाद्य विभाग तथा श्री ए० पी० सिंह, क्षेत्रीय सीनियर जनरल मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने समिति द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को उसके समक्ष उपलब्ध कराने तथा कुछ शंकाओं के समाधान हेतु वस्तुस्थिति से समिति को अवगत कराने में अपना सहयोग दिया।

अन्त में, मैं, श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव, विधान सभा तथा इस सचिवालय के सम्बन्धित समिति अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के प्रति भी समिति की ओर से आभार प्रकट करता हूं जिनके परिश्रम एवं सहयोग से यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

---

†छापी नहीं गयीं।

††छापा नहीं गया।

अगले शनिवार को सदन की बैठक करने की सूचना

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मन्त्री, आपको शनिवार के बारे में कुछ कहना है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मेरा यह आग्रह है और निवेदन भी है कि आगामी शनिवार को यह सदन चले। इसको आप कृपया स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपने रख दिया तो फिर स्वीकार हो ही जायेगा।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मालूम हो जाय कि काम क्या है जिसके लिये शनिवार को बैठने वाले हैं? बड़ी कठिनाई है कि मालूम नहीं होता है कि कल क्या होगा? कार्य-क्रम क्या है, कितना है उसके अनुसार प्रस्ताव रखें।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक हम निरन्तर करते रहे हैं और आज भी किया है और चौधरी रामपाल सिंह यादव जी उसमें विद्यमान थे।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, पिछले दो तीन दिनों का कार्य-मन्त्रणा समिति का कार्य-क्रम नहीं आया है जिससे कि मालूम हो सके कि क्या होगा?

श्री अध्यक्ष--

कल भी प्रस्ताव आया था।

श्री गोपीनाथ कामेश्वर पुरी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, शनिवार को छुट्टी मिलती है, इसलिये सोमवार को कार्य बढ़ा दिया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, रात तक बैठकर शुक्रवार तक काम खत्म कर दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--

अभी संसदीय कार्य मन्त्री ने सूचना दी है कि आप अपने आने-जाने के जो आरक्षण आदि के कार्य होते हैं उसमें सतर्क हो जायं और जैसा माननीय भीखा लाल ने कहा कल फिर हम मीटिंग कर लेंगे।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, सेकन्ड शनिवार को तो छुट्टी होती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं। शनिवार को काम चलाने में मुझे बड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन जो सलाह दी गयी है उसके आधार पर म निवेदन कर रहा हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७५

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ६९१–६९३ पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण विधेयक, १९७५

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ६९४–६९५ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५†

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, पिछले बजट भाषण के अवसर पर सेल्स टैक्स के कानून में कुछ बुनियादी तरमीम संशोधन करने का मैंने प्रस्ताव बजट भाषण में रखा था और तद्नुकूल इस विधान मन्डल के उठ जाने के बाद एक अध्यादेश जारी किया जिसमें सेल्स टैक्स की घोषित सभी नई प्रणालियों को लागू किया गया। उस अध्यादेश के द्वारा सेल्स टैक्स की जो प्रणाली है उसमें बुनियादी परिवर्तन करके सिंगिल सेल्स टैक्स को लागू

---

†५ अगस्त, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

किया और बहुसूत्री सेल्स टैक्स को समाप्त किया। हमने बिक्री-कर की देय धनराशि १२ हजार से बढ़ा कर २५ हजार रुपया कर दी है। इसके साथ ही साथ अनेक मदों में खाद्यान्नों से लेकर तेल तक जो बिक्री-कर की सीमा थी उसको हमने कम किया और बहुत बड़ी राहत प्रदेश के व्यापारी वर्ग को दी ताकि जो उनकी शिकायत थी कि सेल्स टैक्स प्रणाली उनके लिये बाधक है उसको दूर किया, इस बात को ध्यान में रखते हुये और विश्वास करते हुये कि वे अपना टर्नओवर बढ़ा कर सेल्स टैक्स को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। बजट भाषण के दौरान जितने आश्वासन मैंने सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में दिये थे उन सभी को इस विधेयक के द्वारा अधिनियमित किया जा रहा है। माननीय सदस्यों से मेरा यह आग्रह है कि वह भी कृपया प्रदेश भर में जहां-जहां व्यापारी समुदाय से मिलें तो इस बात पर जोर दें कि एमरजेन्सी की भावना को ध्यान में रखते हुए अपना सही टर्नओवर उनको दिखाना है और अगर उन्होंने गलत टर्न ओवर दिखा कर टेक्सइवेजन किया तो जो सहूलियतें दी गयी हैं वे निरर्थक सिद्ध होंगी।

कुछ और सहूलियतें भी उनको दी गयी हैं। अध्यादेश में लिखा गया था कि रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से यह लागू हो सकता है लेकिन उसे बदल कर हमने २६ मई, १९७५ से कर दिया है और तभी से इसे प्रभावी करने के लिये इस अधिनियम में हमने संशोधन भी कर दिया है।

तेल उद्योग को रिबेट भी दिया जायगा। इस वर्ष यह सहूलियत दी गयी है कि जो तेल मिलें बन्द पड़ी हैं या तेल मिलें कम पैदावार कर रही हैं वे जितनी मात्रा में ज्यादा तेल पैदा करती हैं पिछले साल के टर्न ओवर के मुकाबले में अथवा बन्द मिलें जितना नया तेल बनायेंगी उनको उस पर आधा परसेंट का रिबेट दिया जायगा। उसका नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार शासन ले रहा है।

व्यापारियों में कुछ वर्ग ऐसा था जो कम्पोजीशन फीस के लिये कहता था। उनका कहना था कि उनको फार्म भरने में देर होती है उनसे कम्पोजीशन फीस ले ली जाया करें और हम पर सेल्स टैक्स न लगा करे। हम अधिनियम में उनसे कम्पोजीशन फीस लेने का प्राविधान कर रहे हैं। तिमाही नक्शों में जो भूल अथवा त्रुटि होती थी और उनको मौका नहीं था कि वह रिवाइज्ड नक्शा दे सकें तो यह सहूलियत भी इस विधेयक के जरिये उनको दी जा रही है।

चेक पोस्ट में कानून का उल्लंघन करने वालों के लिये सजा का प्राविधान था लेकिन सहायता पहुंचाने वाले को दन्ड देने का प्राविधान नहीं था। देखा यह जाता था कि जो ट्रान्सपोर्टर हैं यानी गाड़ी वाले मिल जाते थे ज्यादा किराया लेकर, उनके लिये यह प्राविधान किया जा रहा है कि जो फार्म ३१ की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं या मददगार हैं वे भी कानूनन सजा के भागी होंगे और जो दूसरे प्रदेश के ट्रान्सपोर्ट वाले हैं वे भी अगर हमारे प्रदेश में इसका उल्लंघन करेंगे तो यह कानून उन पर भी प्रभावी होगा। मुझे आशा है कि सेल्स टैक्स के इस विधेयक को लाकर जो नई राहत दी जा रही है और जो कुछ उसमें प्राविधान किया जा रहा है उससे एक तरफ तो व्यापारियों के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी तरफ व्यापारियों को मौका मिलेगा कि वह सही टर्न-ओवर दिखाकर प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में योगदान दें। जो टैक्स इवेजन हो रहा है वह इस विधेयक के द्वारा रोका जा सकेगा और इतने इवेजन नहीं होंगे इसका प्राविधान इसमें किया जा रहा है। मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को स्वीकार करेगा।

कामरेड चन्दन सिंह (जिला ललितपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने विधेयक पेश किया है उसकी भावना से मैं पूर्णत: सहमत हूं। मान्यवर, अभी आपने अखबारों में देखा होगा कि इनकमटैक्स की करवंचना में काफी तादाद में लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सेल्सटैक्स की

वंचना के सम्बन्ध में हमारे उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया गया है। अगर इस तरह का कोई अभियान प्रदेश में चलाया जाय तो हम उसका पूर्ण स्वागत करेंगे। यह बिल जो पेश किया गया है उससे हमारे जिले के व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया है क्योंकि उनसे जो टैक्स पिछले सालों में उन्होंने वसूल नहीं किया गया था जो कि क्लासिफाइड है वह वसूल कर लिया जायेगा। कुछ अनक्वालिफाइड गुड्स जैसे महुआ आदि जंगली चीजें होती हैं जिनका कि कोई सेल्स टैक्स पिछले दिनों में नहीं था और वसूल नहीं हुआ है, वह इस कानून के द्वारा वसूल कर लिया जायेगा।

आपने मध्य प्रदेश के बार्डर से सेल्स टैक्स की चोरी को बचाने के लिये जो योजना बार्डर पर चेक पोस्ट कायम करके बनायी है उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि एक चेक पोस्ट की जगह दो आपको हमारे जिले में कायम करनी चाहिये थी। वहां पर दो जगहों से सड़कें आती है जहां पर कि मध्य प्रदेश का माल हमारे जिले में आता है। विभाग ने यह चेक पोस्ट ललितपुर से चार मील की दूरी पर और सरहद से ३०-३५ मील की दूरी पर भीतर कायम की है। मध्य प्रदेश से जो रास्ता हमारे जिले से होता हुआ झांसी को जाता है। उसमें जाने वाले माल की चेकिंग होनी चाहिये। किन्तु विभागीय अधिकारी वहां से सारे माल को जो जिले का है और ललितपुर की मन्डी में लाते हैं, रोक लेते हैं और वहां ट्रकों व बसों का तांता लग जाता है। वे व्यापारियों पर जोर लगाते हैं कि वे एक रुपया बोरी या दो रुपया बोरी चेकपोस्ट पर वसूल करते हैं। इससे सरकारी खजाना तो क्या लेकिन इन लोगों का खजाना अवश्य भर जाता है। सेल्स टैक्स के अफसर १-२ घन्टे में शहर का चक्कर लगाते हैं ताकि रुपया जल्दी से घर में पहुंच जाय। यह स्थिति वहां की है। मैंने वहां सेल्स टैक्स कमिश्नर से भी इस सम्बन्ध में कहा था और उन्होंने भी इस बात को माना था कि चेक पोस्ट इतनी दूर न होकर करीब में भी होनी चाहिये यदि इसी जगह रखना है तो एक चेक पोस्ट शहर के करीब होनी चाहिये क्योंकि अगर कोई शिकायत करे तो वह नजदीक ही चेकपोस्ट से आकर कर सकें उसे चार मील न जाना पड़े। तो इस तरह की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिये। इस तरह से वहां पर व्यापारियों को सताया जाता है। अत: यदि आप चाहते हैं कि व्यापारियों से पूरा का पूरा टैक्स वसूल करना है तो ऐसी व्यवस्था करके जो रुपया अधिकारी खा जाते हैं वह सरकारी खजाने में जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने व्यापारी वर्ग को बिक्री-कर में छूट दी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक तरफ वित्त मन्त्री महोदय ने १२ हजार से २५ हजार की छूट बढ़ाने की घोषणा की है दूसरी तरफ जो व्यापारी चाहे ५ हजार का माल बेचे, चाहे १० हजार का माल बेचे उसको परचेज टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो जो छूट की परिभाषा है वह इसमें स्पष्ट नहीं है। मैं तो यही समझता हूं कि एक मकड़ी के जाल की तरह से इसमें व्यापारी वर्ग को फंसाया जा रहा है। जो १२ हजार रुपये की छूट थी उसको आज २५ हजार रुपये किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी से माल खरीदता है और उसका बिक्रीकर ३० हजार रुपया साल का होता है तो उसको भी परचेज टैक्स देना पड़ेगा और अगर कोई सीधा माल खरीदता है तो उसको भी परचेज टैक्स देना पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर पुन: विचार करें और छूट की परिभाषा जो १२ हजार से २५ हजार की है उसको स्पष्ट करें। मेरा यह एक सुझाव है, मैं वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, वित्त मन्त्री जी की वही हालत है जो महात्मा गांधी जी ने कहा था "ईश्वर अल्लह तेरे नाम सब को सन्मति दे भगवान"। तो यह भी सब व्यापारियों से यह चाहते हैं कि वे इनकी बात को माने। यहां पर यह दिल बदलने की बात कहते हैं कि हम दिल और दिमाग बदलना चाहते हैं और इन्होंने बहुपदीय से एकपदीय टैक्स कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप यहीं पर गलती करते हैं और सबको सन्मति दे भगवान वाली बात करते हैं। उससे आप छोटे व्यापारी को तो सता लेते हैं जो आपके अधिकारी हैं वह भी उनको सता लेते हैं लेकिन जो बड़े मगर-मच्छ हैं जिनको सन्मति न महात्मा गांधी दे सके और न भगवान दे सकें, जिनकी आदत पड़ी हुई है टैक्स की चोरी करने की, मुनाफाखोरी करने की और हर तरह से कालाबाजारी करने की उनको आप नहीं बदल सकते हैं। जो इस प्रकार के व्यवसाय के अन्दर पड़े हुए हैं उनके लिये मैं कहना चाहता हूं मन्त्री जी से कि उनसे अपील करने के बजाय कोई और कार्यवाही करें।

श्रीमन्, बिहार और उत्तर प्रदेश के बार्डर पर आप जानते हैं कि एक ही रास्ते से कोयला आता है उसके लिये एक चेक पोस्ट बनाई है वहां पर जो अधिकारी हैं वही चोरी करते हैं और इस प्रकार से २०, २५ एजेंसीज वहां पर बनाये हैं जो वहां पर फार्म भरते हैं वही वहां पर चोरी करते हैं। बहुत सालों से वह वहां पर हैं मैंने कई बार आपको लिखा भी था कि पुराने लोगों को वहां से हटाया जाय। इस साल कुछ बदल भी दिये गये हैं। जो ट्रक से कोयला लाते हैं उनसे फर्जी फार्म भरा लेते हैं। तो श्रीमन्, जहां आप व्यापारियों को सम्मति देने की बात करते हैं वहां जो आपके आफिसर्स हैं, जो चोर हैं या जो चोरी कराते हैं उनकी तरफ आपकी निगाह नहीं जा रही है। तो उनको भी सम्मति दें, उनके दिमाग को भी ठीक करें। जो ईंट भट्टे वाले हैं। वह किस तरह से परेशान होते हैं उनके बारे में भी मैंने जिक्र किया था और कई बार बात भी की थी कि सब चोरी करते हैं। श्रीमन् ईंट, पर से जितना सेल्स टैक्स आना चाहिये वह नहीं आ रहा है क्योंकि इनकी जो नीति है वह गलत है। हमने कई बार माननीय मन्त्री जी को लिखकर दिया और उनसे निवेदन किया कि इसके दो सीजन चलते हैं, एक नवम्बर से मार्च तक और दूसरा जून तक, तो आप इन दोनों के लिये एक मुश्त फिक्स कर दें कि इतना-इतना रुपया इन भट्ठे वालों से साल भर का लिया जायेगा। देखिये इस तरह से करोड़ों रुपया आ जायगा। लेकिन वह इन की अक्ल में नहीं आता है। इसका नतीजा यह होता है कि भट्ठे वाले सेल्स टैक्स अफसरों से मिले रहते हैं और सरकार से टैक्सों की भारी चोरी होती है। एक-एक सेल्स टैक्स अफसर २-२, ३-३ हजार रुपया प्रति वर्ष प्रति भट्ठे वालों से लेता है। श्रीमन्, आज टैक्सों की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है और अब एक पदीय या बहु पदीय करने या १२ हजार से २५ हजार की छूट टैक्सों में देने से आप चाहते हैं कि उनका दिमाग परिवर्तित हो जायेगा, तो वह यहां होने वाला नहीं है। यह सोचना आपका भ्रम मात्र है। मुनाफाखोर, जखीरेबाज और ब्लैकमार्कटियर्स जो आज पूरे समाज को लूट रहे हैं, वे टैक्सों की चोरी भी करते रहें, जब तक आप अपने अधिकारियों और विभाग पर कड़ा अंकुश नहीं रखेंगे तथा साथ ही इस सदन के माननीय सदस्यों की वाजिब बातों को नहीं सुनेंगे।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी मशीनरी को ठीक कीजिये, उसे कसिये, सारी चीजों पर सोच समझकर टैक्सेशन कीजिये। इससे आपको बहुत रुपया मिलेगा। जो चोरी करते हैं, उनको आप डी० आई० आर० या मीसा में सजा दीजिये, उन्हें बन्द कीजिये, जैसा कि इन्कम टैक्स के चोरों के बारे में केन्द्र सरकार ने किया है? जब तक यह डन्डा कानून का आप हाथ में नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यह जो आपको एमरजेंसी संयोग से कहिये या और जैसे कहिये आपको मिल गई है, उसका प्रयोग इन सब कामों में कीजिये। इसका प्रयोग यदि आपने इनके खिलाफ नहीं किया और यह सोचते रहे कि

इनका दिल दिमाग परिवर्तित हो जाएगा तो दुनियां में न तो किसी का दिल बदला है और न किसी का दिमाग परिवर्तित हुआ है। आप जो बहुत मधुर बोलते हैं, उसे थोड़ा छोड़ दीजिये, और डी० आई० आर० और मीसा का प्रयोग कीजिये। यह बार-बार मौका आता नहीं है। यह इतिहास में पहली बार आपको सुनहरा मौका मिला है, इस समय जितने जरायम हो रहे हैं उन सबको सरकार इनके माध्यम से रोके और जो समाज का कमजोर वर्ग है, लूटा जाता है, उनको सरकार संरक्षण प्रदान करें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मेरे दल की ओर से दो माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं, किन्तु मैं भी कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और चाहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी उस पर ध्यान दें। सेल्स टैक्स एक तो चोरी होता है और दूसरे सेल्स टैक्स की रिकवरी जो लाखों-करोड़ों रुपये बाकी पड़ी है, उसके लिये सरकार क्या रास्ता अपनाती है, यह हमें देखना है? हम देखते हैं कि छोटे-छोटे किसानों से सरकारी और कोआपरेटिव के कर्जे किस सख्ती के साथ वसूल लिये जाते हैं, उन्हें बन्द कर दिया जाता है और बन्द करने के समय का खाना खर्चा जोड़कर फिर १५ दिन बाद उन्हें बन्द कर दिया जाता है। तो एक तरफ रिकवरी का यह क्रायटेरिया है कि समाज के कमजोर वर्ग को डन्डे से मारकर, जो आज देने की हैसियत में नहीं हैं, वसूल ली जाती है, उसको कोई छूट न दी जाय किन्तु समाज के उस वर्ग को जो मुनाफा उठाता है, चोरी करता है, उसके लिये कानून में इतने लूप होल्स बना रखे हैं कि ये लोग अपने मामलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं और लाखों लाख रुपया टैक्स का इन पर बाकी रहता है और आप उस रुपये की रिकवरी कराने में असमर्थ रहते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप यह चीज जानबूझकर कराते हैं, क्या शासन उससे कोई फायदा लेता है? आप कानून में इस तरह का संशोधन क्यों नहीं लाते हैं कि आपका सारा का सारा रुपया वसूल हो जाये? आज यह वर्ग समाज में शोषण करता है। आपको कानून में इस तरह का परिवर्तन करना चाहिये कि यह सब चीजें दूर हो जायें।

जिन व्यक्तियों की वकालत क्रिमिनल अथवा रेवेन्यू साइड में नहीं चल पाती है वह सेल्स टैक्स में जाकर मुकदमें करते हैं। वहां पर वह व्यापारियों और अधिकारियों से मिल कर सौदा करते हैं। इस तरह से यहां पर बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहां पर जुडीशियल फैसला नहीं हो पाता है। आप देखें कि जो भी कम्पटीशन में पास होकर आता है वह सेल्स टैक्स आफीसर बनना चाहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? अगर आप भ्रष्टाचार बन्द करना चाहते हैं तो सेल्स टैक्स आफीसर रिटायर हो गये हैं और जो वर्तमान हैं उनके घरों में छापा मार कर देखा जाये तो पता चलेगा कि कितना भ्रष्टाचार होता है, इसकी इन्क्वायरी करायी जाय तो पता चलेगा कि लाखों रुपये एक सेल्स टैक्स अधिकारी अपनी ४-६ साल की सर्विस में कमा लेता है। इससे सरकार का नुकसान और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही साथ व्यापारी अपना फायदा करता है।

मैं कहना चाहता हूं कि समाज में डबल रोल नहीं चल सकता है। मान्यवर, यह आपके शासन की नीतियों का परिणाम है। क्या आप इन्दिरा जी के २० सूत्री फारमूले के आधार पर समाज में समानता लाना चाहते हैं? जब तक कानून में आप परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज क्रान्तिकारी ढंग से आपको बुनियादी तौर से इन सारी बातों को सोचना पड़ेगा तभी आपकी नियत पूरी होगी। केवल विधेयक पास करने मात्र से गरीबी दूर नहीं हो जायेगी। और समाज में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यह वर्ग समाज को लूट रहा है। यही मुझे माननीय वित्त मन्त्री जी से कहना था।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्यों का मैं बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक की जो मुख्य परिधि है और इसका जो उद्देश्य है, उसका स्वागत किया। माननीय सदस्य चन्दन सिंह ने जो आशंका व्यक्त की कि धारा ३ ई में यह है कि महुआ तेल जिन पर कर नहीं लगाया जाता था उन पर कर लगेगा। कर हम रिट्रासपेक्टिव नहीं लगा रहे हैं। इस चीज का विधेयक में सुधार कर लिया जायगा। यह २६ मई से लागू होगा। जहां तक ललितपुर चेक पोस्ट का सवाल है जो कि चेक पोस्ट पहले था उसके पहले एक सड़क झांसी को निकल जाती है तो उस सडक को कवर करने के लिये यह चेक पोस्ट बनाया गया। लेकिन इस पर पुनर्विचार हो रहा है कि चेक पोस्ट बार्डर पर हो या शहर के पास।

जहां तक नौबतपुर चेक पोस्ट का सम्बन्ध है, जिसके बारे में माननीय ऊदल जी ने कहा, अभी हाल ही में वहां पर एक विशेष अभियान चलाया गया था और जितने वहां पर तम्बू लगे थे और जो नकली फार्म ३१ बेचते थे, वे सब गिरफ्तार हैं। ये ९ आदमी हैं। उनके फार्म भी पकड़े गये। तो उनके सुझावों पर तो पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। यदि वाणी मधुर हो और कार्यवाही सख्त हो तो कोई एतराज नहीं है लेकिन अगर वाणी भी मधुर हो और कार्यवाही सख्त न हो तो अच्छा नहीं है। पार्लियामेंटरी भाषा में यहां तो मधुर होना ही पड़ता है लेकिन अगर काम सख्ती से हो तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

जहां तक इन्कम टैक्स का सम्बध है, उनका अपना एक अलग ढंग है। इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स में बुनियादी फर्क है। इन्कम टैक्स में एससमेंट होता है, लेकिन सेल्स टैक्स में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें समन्वय हो रहा है। बार-बार इनके अधिकारियों की बैठकें होती रहती हैं, लेकिन इसकी सूचना अखबारों में नहीं छपती कि इन्कम टैक्स वालों ने और सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने क्या पौलिसी अख्तियार की है, लेकिन उनकी बैठकें बराबर होती रहती हैं। पिछले वर्षों में एक्साइज वाले, सेन्ट्रल एक्साइज वाले, सेल्स टैक्स वाले और इन्कम टैक्स वाले आपस में मिले हैं और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि किस प्रकार से टैक्स इवेजन को रोका जाय।

माननीय सदस्य, बाराबंकी ने सेल्स टैक्स की प्रणाली के बारे में कुछ कहा है। सेल्स टैक्स प्राइवेट व्यापार, निजी व्यापार पर आधारित है, प्राइवेट ट्रेड के ऊपर आधारित है। तो सेल्स टैक्स की प्रणाली में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हो सकता है। जब हम सारी स्टेट ट्रेडिंग कर लें तो उस समय सेल्स टैक्स की प्रणाली आसान हो जायगी लेकिन जब तक प्राइवेट ट्रेडिंग है, हिसाब-किताब परचेज टैक्स और सेल्स टैक्स का हिसाब और कीमतों पर रिलेशनशिप भी रहेगी। इसलिये जब तक पूरा स्ट्रेट ट्रेडिंग नहीं हो जाता है तब तक हमारी सेल्स टैक्स की जो वर्तमान प्रणाली है, उसमें बुनियादी परिवर्तन सम्भव नहीं है। इसलिये जो कुछ इस प्रणाली के अन्तर्गत हो सकता है, उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं कहता यह बिल्कुल सही है, इसमें बहुत खामियां भी हो सकती हैं लेकिन हमारी मंशा साफ है।

इसमें जो हमने १२,००० से २५,००० रुपये किया है उससे बड़े व्यापारियों को राहत नहीं दी है। वर्ष १९४७-४८ में जो कीमतें थी आज वे बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं। उस समय जिस व्यापारी का टर्न-ओवर १२,००० रुपये का था आज वह २५,००० हजार से कहीं ज्यादा है। तो टर्न-ओवर को देखते हुये हमने "१२ हजार रुपये" के स्थान पर "२५ हजार रुपये" करके कोई ज्यादा छूट नहीं दी है। हम कीमतों के आधार पर लिमिट रखते हैं। जहां तक परचेज टैक्स का सम्बन्ध है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अतः मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ से ३४, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५

कतिपय प्रयोजनों के लिए और कतिपय कार्यों तथा कार्यवाहियों को विधिमान्य करने और उससे आनुषंगिक या उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के निमित्त उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में,— — उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा २ का संशोधन

(१) वर्तमान खन्ड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय और मार्च, १९७३ के प्रथम दिन से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :—

"(कक) माल खरीदने या बेचने के व्यापार के सम्बन्ध में, 'व्यापार' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है : —

(१) कोई व्यापार, वाणिज्य या निर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण के स्वरूप का कोई प्रोद्यम या संस्थान, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाई जाय या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान से कोई लाभ प्रोद्भूत हो या नहीं; और

(२) संयंत्र, मशीनरी, कच्चा माल, प्रसंस्करण करने का सामान, पैक करने का सामान, खाली डिब्बे, उपभोज्य स्टोर, उत्सर्जित पदार्थ या उपोत्पाद या इसी प्रकार का कोई अन्य माल अथवा कोई अनुप्रयोज्य या अप्रयुज्यमान या व्यर्थ मशीन या उसके कोई हिस्से या सहायक सामान या कोई उत्सर्जित पदार्थ या छीजने या उनमें से कोई भी चीज जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान से अनुषंगी हो या उससे सम्बद्ध हो या उससे आनुषंगिक हो या उसके परिणामस्वरूप हो, खरीदने, बेचने या सम्भरण करने का कोई संव्यवहार ;

किन्तु इसके अन्तर्गत केवल सेवा या वृत्ति की प्रकृति का कोई ऐसा कार्यकलाप नहीं है जिसमें माल खरीदना या बेचना अन्तर्विष्ट न हो ;"

(२) खण्ड (ग) में, मार्च १९७३ के प्रथम दिन से प्रभावी रूप में—

(i) शब्द "राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग जो ऐसा व्यापार करता हो" के स्थान पर शब्द "कोई राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार जो ऐसा व्यापार करती हो" रख दिये जायं;

(ii) स्पष्टीकरण 2 निकाल दिया जाय ;

(३) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय और अक्तूबर, १९७२ के तेरहवें दिन से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"(ङ-१) निर्माण का तात्पर्य किसी माल का उत्पादन करने, बनाने, खनन, संग्रहण, निष्कर्षण, परिवर्तन, अलंकृत, परिसज्जित करने या अन्य प्रकार के प्रसंस्करण, सोधन या अनुकूलित करने से है ; किन्तु इसके अन्तगत ऐसा निर्माण या निर्माण-विधा नहीं है जो निर्धारित की जाय" ;

(४) (ख) खण्ड (झ) में, स्पष्टीकरण १ निकाल दिया जाय।

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में —

(१) उपधारा (२) में, शब्द "बारह हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार रुपये" रख दिये जायें और अप्रैल, १९७५ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायें ;

(२) उपधारा (३) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "धारा ३-क की उपधारा (१) या उपधारा (२-क) के अधीन" रख दिये जायं और दिसम्बर, १९७३ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायं ; और

(ख) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं, अर्थात् :—

"(२) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन निर्धारित कोई घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके, खरीदे या आयात किये गये माल,

(३) उपखण्ड (१) या उपखण्ड (२) में अभिदिष्ट माल का प्रयोग करके अपने द्वारा निर्मित माल;"।

धारा ३-क का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३-क में,—

(१) उपधारा (१) के खन्ड (क) में, शब्द "बारह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" रख दिये जायं ; और

(२) उपधारा (२-क) में, प्रथम तथा द्वितीय प्रतिबंधात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् —

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसे किसी माल के सम्बन्ध में ऐसे दिनांक से जिसे उस निमित्त विज्ञापित किया जाय, विक्रय धन पर कर की दर या कर के स्थल में परिष्कार कर सकती है, किन्तु इस प्रकार कि दर सात प्रतिशत से अधिक न हो।"

५—मूल अधिनियम की धारा ३-घ में — — धारा ३-घ का संशोधन

(१) उपधारा (१) के खण्ड (ख) के उप-खंड (२) में, शब्द "बारह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" रख दिये जायें।

(२) उपधारा (३-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात्,—

"(३-क) कोई व्यापारी इस धारा के अधीन कर का देनदार नहीं होगा, यदि उसके उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल के क्रय-धन, उपधारा (२) के अधीन कर योग्य विक्रय धन और अन्य सभी माल के कुल विक्रय-धन का योग, जो कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित हो, बारह हजार रुपये से अथवा ऐसी अधिक धनराशि से जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, या तो किसी माल के समस्त व्यापारियों के सम्बन्ध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में तदर्थ निर्दिष्ट करे, कम हो :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) धारा १८ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ;

(२) इस उपधारा की कोई बात किसी व्यापारी पर धारा ३ की उपधारा (३) में उल्लिखित परिस्थितियों में व्यापारी द्वारा खरीदे या बेचे गये माल के सम्बन्ध में लागू न होगी ;

(३) शब्द 'बारह हजार रुपये' के स्थान पर दिनांक अप्रैल, १९७५ के प्रथम दिन से शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित हो जायगा।"

६—मूल अधिनियम की धारा ३-ङ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :— धारा ३-ङ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

कतिपय संव्यवहारों पर क्रय कर का लगाया जाना।

"३-ङ—प्रत्येक व्यापारी जो किसी रजिस्टर्ड व्यापारी से उन परिस्थितियों में, जिनमें ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा कोई कर देय न हो या रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से कोई कर योग्य माल खरीदता है तो वह ऐसे माल के क्रय मूल्य पर कर का देनदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि माल पर बिक्री के केवल एक स्थल पर कर देय हो और यदि ऐसा व्यापारी कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार यह साबित कर दे कि खरीदे गये माल पर पहले ही कर लग चुका है या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर लगाया जायगा तो इस धारा के अधीन कोई कर देय न होगा।"

७—मूल अधिनियम की धारा ३-च में,— धारा ३-च का संशोधन

(१) शब्द तथा अंक "प्रत्येक व्यापारी, जो धारा ३, धारा ३-क, धारा ३-कक या धारा ३-घ के अधीन कर का देनदार हो, और जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में क्रय या विक्रय अथवा दोनों का कुल विक्रय धन" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

"प्रत्येक व्यापारी जो इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, और जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में धारा ३-घ की उपधारा

(१) के अधीन विज्ञापित माल के कुल क्रय धन, धारा ३-घ की उपधारा (२) के अधीन कर योग्य विक्रय धन का और अन्य समस्त माल के कुल विक्रय धन का योग।"

(२) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खन्ड में, शब्द "सम्पूर्ण कर निर्धारण वर्ष के विक्रय धन या क्रय-धन अथवा दोनों" के स्थान पर शब्द "सम्पूर्ण कर-निर्धारण वर्ष के कुल क्रय धन और विक्रय धन के यथा उपर्युक्त योग" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं।

नयी धारा ३-छ का बढ़ाया जाना

८—मूल अधिनियम की धारा ३-च के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३-छ बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

कतिपय विक्रियों पर कर की विशेष दर

"३-छ (१) धारा ३-क या धारा ३-घ में किसी बात के होते हुए भी, और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी कम्पनी, निगम या उपक्रम (जो नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, जिला परिषद्, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या कोई विश्वविद्यालय या किसी प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा तत्समय प्रबन्धित कोई संस्था न हो) को बेचे गये माल के सम्बन्ध में निर्धारित रीति से अवधारित किये जाने वाले विक्रय-धन पर कर, यदि व्यापारी ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो निर्धारित किया जाय, कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे विभाग, कम्पनी, निगम या उपक्रम से प्राप्त घोषणा-पत्र प्रस्तुत करें, सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा ८ की उपधारा (१) में तत्समय निर्दिष्ट दर पर लगाया और दिया जायगा जब तक कि माल इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उक्त दर से कम दर पर कर लगाने योग्य न हो।

१९५६ का ऐक्ट ७४

(२) उपधारा (१) के उपबन्ध किसी ऐसे माल की बिक्री पर लागू न होंगे जिन्हें ऐसा विभाग, कम्पनी, निगम या उपक्रम फिर से बेचने के लिये या किसी माल के निर्माण या पैकिंग में उपयोग करने के लिये खरीदें।

(३) यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट घोषणा के प्रति माल खरीदने के पश्चात् कोई विभाग, कम्पनी, निगम या उपक्रम उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिये न करे, बल्कि उनका उपयोग या निस्तारण उपधारा (२) में उल्लिखित रीति से या किसी अन्य रीति से कर दे, तो, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही जिसके अन्तर्गत शास्ति का आरोपित किया जाना भी है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा विभाग, कम्पनी, निगम या उपक्रम क्रय कर के रूप में उतनी धनराशि का देनदार होगा जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर अन्यथा प्रयोज्य दर तथा उपधारा (१) में निर्दिष्ट दर के अन्तर के बराबर हो।"

धारा ४-ख का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ४-ख की उपधारा (२) में स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में शब्द "विज्ञापित माल के निर्माण में किसी व्यापारी द्वारा प्रयुक्त सहायक पुर्जों तथा संघटक पुर्जों" के स्थान पर शब्द "विज्ञापित माल के बिक्री के लिये निर्माण या पैकिंग में, यथास्थिति, प्रयुक्त सहायक पुर्जों तथा संघटक पुर्जों या कन्टेनरों या पैक करने का सामान" रख दिये जायं।

१०—मूल अधिनियम की धारा ५ में, शब्द "जो निर्धारित किये जायें" के स्थान पर शब्द "जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर विज्ञापित करे" रख दिये जायें। धारा ५ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :— नई धारा ६ का बढ़ाया जाना।

"६ (१) किसी अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा किसी अधिकारिता के प्रति आपत्ति कर निर्धारक अधिकारी की क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के प्रति कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी आपत्ति यथासम्भव शीघ्र अवसर पर कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष न की गई हो और जब तक कि अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी की राय में उससे वास्तव में न्याय न हो पाया हो।

(२) यदि कर निर्धारक अधिकारी की केवल क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के अभाव के कारण अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से जिससे सार पर प्रभाव न पड़ता हो कोई कर-निर्धारण रद्द या अपखण्डित कर दिया गया हो तो कर निर्धारिती द्वारा स्वीकृत दायित्व की सीमा तक पहले से ही दिया गया कर इस प्रकार कर निर्धारण रद्द या अपखण्डित किये जाने के फलस्वरूप उसे वापस किये जाने योग्य नहीं होगा।"

१२—मूल अधिनियम की धारा ७ में उपधारा (१-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :— धारा ७ का संशोधन

"(१-ख) यदि किसी व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा (१) के अधीन विवरण-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक बढ़ाये जाने के परिणाम-स्वरूप, उपधारा (१-क) के अधीन कर का जमा किया जाना स्थगित हो जाय तो विवरण--पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित अन्तिम दिनांक से ठीक बाद के दिनांक से प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये ऐसे निक्षेप पर दो प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

(१-ग) यदि किसी व्यापारी को अपने द्वारा प्रस्तुत विवरणी में कोई लोप या अन्य त्रुटि मालूम हो तो वह अगली विवरणी प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय के पूर्व किसी भी समय, पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। यदि पुनरीक्षित विवरणों में देय कर की धनराशि मूल विवरणी में प्रदर्शित देयकर की धनराशि से अधिक दिखाई गई हो तो व्यापारी देय कर के अन्तर की धनराशि और उपधारा (१-ख) के अधीन देय ब्याज को भी अलग से जमा करेगा मानो मूल विवरणी प्रस्तुत करने का समय व्यापारी के आवेदन-पत्र पर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने के दिनांक तक बढ़ा दिया गया हो। किन्तु यदि पुनरीक्षित विवरणी में देय कर की धनराशि मूल विवरणी में प्रदर्शित देय कर की धनराशि से कम दिखाई गई हो तो व्यापारी देय कर से अधिक धनराशि को अनुवर्ती अवधि के लिये देय कर के प्रति समायोजित कर सकता है।"

धारा ७-घ और ७-ङ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा ७-घ और ७-ङ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

कर दायित्व के सम्बन्ध में राजीनामा

"७-घ—इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुए, बिक्री-कर कमिश्नर ऐसे कर की धनराशि के बदले में जो किसी व्यापारी द्वारा ऐसे माल या माल के वर्ग के सम्बन्ध में और ऐसी अवधि के लिये जिस पर करार हो जाय, देय हो, एक मुश्त धनराशि स्वीकार कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कर की दर में किसी परिवर्तन का जो ऐसे करार के दिनांक के पश्चात् प्रवृत्त हो, यह प्रभाव होगा कि करार की अवधि के उस भाग के सम्बन्ध में जिसमें परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, करार पाई गई एकमुश्त धनराशि में आनुपातिक परिवर्तन हो जायगा।"

धारा ८ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा ८ में,—

(१) वर्तमान उपधारा (१) तथा (१-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात् —

"(१) स्वीकृत रूप में देय कर निर्धारित समय के भीतर या इकतीस अगस्त, १९७५ तक जो भी पश्चात्वर्ती हो, जमा किया जायगा, ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर निर्धारित अन्तिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक के या जून १९७५ के प्रथम दिन से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये दो प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा और दिया जायगा और धारा ७ की कोई बात ऐसे ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से न तो रोकेगी और न उसका प्रभाव उसे मुल्तवी करने का होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ स्वीकृत रूप में देय कर का तात्पर्य उस कर के है जो इस अधिनियम के अधीन विक्रय-धन या, यथास्थिति, क्रय धन या दोनों पर, जैसा कि व्यापारी द्वारा रखे गए लेखे में दिखाया गया हो या जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी विवरण-पत्र या कार्यवाही में स्वीकृत किया गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो या यदि कोई लेखा न रखा गया हो, तो व्यापारी के अनुमान के अनुसार देय हो।

(१-क) इस धारा के अधीन निर्धारित कर, कर-निर्धारण और मांग की नोटिस में निर्दिष्ट रीति से तथा उसे तामील किये जाने के तीस दिन के भीतर जमा किया जायेगा।

(१-ख) यदि किसी व्यापारी या न्यायालय द्वारा निर्धारित, पुन: निर्धारित या बढ़ाया गया कर, यथास्थिति, कर निर्धारण तथा मांग की नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के या बढ़ाये जाने के आदेश, के दिनांक से तीन मास तक अदत्त रह जाय तो अदत्त धनराशि पर साधारण ब्याज देय हो जायगा और एतद्पश्चात् निर्दिष्ट रीति से दिया जायगा :—

(१) उपधारा (१) में अभिदिष्ट धनराशि पर उक्त उपधारा में निर्दिष्ट दर पर, और

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट धनराशि से अधिक धनराशि पर, यदि कोई हो, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये डेढ़ प्रतिशत की दर पर :

प्रतिबन्ध यह है कि --

(क) २६ मई, १९७५ के पूर्व निर्धारित कर के सम्बन्ध में इस उपधारा में, यथास्थिति, कर निर्धारण तथा मांग की नोटिस तामील किये जाने या आदेश के दिनांक से तीन मास की अवधि के स्थान पर "कर निर्धारण तथा मांग की नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के दिनांक से छः मास" रखा गया समझा जायगा ; और

(ख) यदि अपील, पुनरीक्षण, या निदेश पर, या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा कर की धनराशि में परिवर्तन कर दिया जाय तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की धनराशि की पुनः गणना की जायेगी।

(१-ग) उपधारा (१) और (२) के अधीन देय ब्याज की धनराशि, किसी ऐसे अन्य दायित्व या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो व्यापारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उठानी पड़े और उसे कर की धनराशि में जोड़ दिया जायगा और सभी प्रयोजनों के लिये कर का भाग समझा जायगा।"

(२) उपधारा (२) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (१)" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (१) या (१-ख)" रख दिये जायें।

(३) उपधारा (९) में खण्ड (ग) में, शब्द "कोई भिन्नता न हो" के स्थान पर शब्द "कोई वृद्धि (कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निर्धारित धनराशि के अभिदेश में) न हो" रख दिये जायं।

१५--मूल अधिनियम की धारा ८-क में,--

धारा ८-क का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, जहा कहीं भी अंक "१२,०००" आये हों उनके स्थान पर अंक "२५,०००" रख दिये जायं और अप्रैल, १९७५ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायं ;

(ख) उपधारा (१-क) के उपखण्ड (घ) में, शब्द तथा अंक "धारा १४" के स्थान पर शब्द अंक तथा अक्षर "धारा १४ या, यथास्थिति धारा १५-क" रख दिये जायें और मार्च, १९७३ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायें।

१६--मूल अधिनियम की धारा ८-ख में,--

धारा ८-ख का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, शब्द "बारह हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार रुपये" रख दिये जायें और अप्रैल, १९७५ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायं ;

(ख) उपधारा (५) के अन्त में शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "भले ही धारा ३ की उपधारा (२), धारा ३-घ की उपधारा (३-क) या धारा १८ में न्यूनतम विक्रय धन के सम्बन्ध में कोई बात दी हो" रख दिये जायें और सदैव रखे गये समझे जायें।

धारा ९ का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (३) में शब्द "अपीलकर्ता" के स्थान पर शब्द "सुसंगत अभिलेखों को मांगने और उनका परीक्षण करने के पश्चात्, और अपीलकर्ता" रख दिये जायें।

धारा १०का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (६-क) में, शब्द "कर निर्धारण और मांग की नोटिस तामील किये जाने अथवा शुल्क लगाये जाने या अर्थदन्ड आरोपित किये जाने, जैसी भी दशा हो, का आदेश तामील किये जानें के दिनांक से नब्बे दिन" के स्थान पर शब्द "उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण विचाराधीन हो, तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन" रख दिये जायें।

धारा ११का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (८) में, शब्द तथा अंक "ब्याज सहित, जिसकी दर २ प्रतिशत से अधिक न होगी, जैसा भी हाई कोर्ट दिलाये" के स्थान पर शब्द, "इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार" रख दिये जायें और मार्च, १९७३ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायें।

धारा १२-ख का बढ़ाया जाना

२०—मूल अधिनियम की धारा १२-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"१२-ख—कर निर्धारिती अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण या अतिरिक्त

अपील या पुनरीक्षण में अतिरिक्त साक्ष्य

पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष मौखिक या दस्तावेज के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार न होगा सिवाय उस दशा के जब पेश किया जाने वाला साक्ष्य ऐसा साक्ष्य हो जिसे कर निर्धारक अधिकारी ने गलती से ग्रहण करने से इन्कार किया हो अथवा जो सम्यक् तत्परता बरतने के बावजूद भी उसकी जानकारी में नहीं था अथवा उसके द्वारा कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था और प्रत्येक ऐसे मामले म अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित किये जाने पर बिक्री-कर कमिश्नर को चुनौती देने या खण्डन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायगा।"

धारा १३ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा १३ में,—

(१) उपधारा (४) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (२) में शब्द तथा अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा १०२, १०३, और १६५" तथा पार्श्व अभिदेश "१८९८ का अधिनियम ५" के स्थान पर क्रमश : शब्द तथा अंक "दन्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १०० तथा १६५" तथा पार्श्व अभिदेश "१९७४ का अधिनियम २" रख दिये जायं और अप्रैल, १९७४ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायं ;

(२) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—उपधारा (३) में निर्दिष्ट अवधि की गणना करने में वह अवधि, जिसके दौरान इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के आदेशों के अधीन रुकी रहे, सम्मिलित नहीं की जायगी।"

२२—मूल अधिनियम की धारा १३-क में,— धारा १३-क का संशोधन

(१) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात् —

"(१-क) यदि राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी गाड़ी, यान-पात्र, भवन या स्थान में पाया, गया माल किसी वास्तविक व्यापारी का नहीं है अथवा यह सन्देह हो कि ऐसे माल को किसी व्यापारी ने अपने व्यापार के दौरान रखे गये लेखों, रजिस्टरों या अन्य लेख्यों में उचित रूप से लेखबद्ध नहीं किया है तो उसे ऐसे माल को अभिग्रहण करने की शक्ति होगी, तथा ऐसे अभिग्रहण के सम्बन्ध में इस धारा के शेष उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगें।"

(२) उपधारा (३) में, शब्द "ऐसे कर की धनराशि के, जो उस दशा में देय हो तो जब ऐसे अभिग्रहण के दिनांक को राज्य में माल की बिक्री की गई होती तीन गुने से अनधिक ऐसी धनराशि का" के स्थान पर शब्द "अधिनियम के अधीन लगाये जा सकने वाले अर्थदण्ड की अधिकतम धनराशि से अनधिक धनराशि का" रख दिये जायें।

२३—मूल अधिनियम की धारा १५-क की उपधारा (१) में,— धारा १५-क का संशोधन

(१) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें, अर्थात् :—

"(ण) धारा २८-क या धारा २८-ग के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या आयात करने का प्रयास करता है या आयात करने या आयात का प्रयास करने के लिये दुष्प्रेरित करता है ; या

(ण१) धारा २८-क या धारा २८-ग के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का परिवहन करता है या परिवहन करने का प्रयास करता है या परिवहन करने या परिवहन करने का प्रयास करने के लिये दुष्प्रेरित करता है; या"

(२) खण्ड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् : —

"(थथ) इस अधिनियम के अधीन कोई बिक्री-कर या क्रय-कर वैध रूप से देय न होने पर या वैध रूप से देयकर की धनराशि से अधिक कोई धनराशि, बिक्री-कर या क्रय-कर के रूप में, वसूल करता है, या" रख दिये जायं।

(३) खण्ड (२) में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक, "खण्ड (ज), खण्ड (ठ) खण्ड (ङ) या खण्ड (ण)" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खण्ड (ठ) या खण्ड (ड)" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं ;

(४) खण्ड (६) में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक, "खण्ड (ञ)" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खण्ड (ज), या खण्ड (ञ),, रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें ; और

(५) खण्ड (७) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाएं अर्थात् :—

"(८) खण्ड (थथ) में अभिदिष्ट दशा में, ऐसी धनराशि जो वसूल किये गये कर की धनराशि या, यथास्थिति, अधिक वसूल की गई धनराशि से कम न हो किन्तु उक्त धनराशि के तीन गुने से अधिक न हो ;

(९) खण्ड (ण) या (ण-१) में अभिदिष्ट दशा में, यदि माल राज्य के भीतर ऐसे उल्लंघन के दिनांक पर बेचा गया होता, तो कर की जो धनराशि देय होती उसके तीन-गुने से अनधिक धनराशि ;"

(६) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "कर निर्धारक अधिकारी" के अन्तर्गत किसी जांच चौकी का प्रभारी अधिकारी या धारा १३ या धारा १३-क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है।"

धारा १८ का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की धारा १८ में, जहां कहीं भी अंक "१२,०००" आये हों, उनके स्थान पर अंक "२५,०००" रख दिये जायं और अप्रैल, १९७५ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायं।

धारा २९ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा २९ में,—

(क) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :—

१९५६ का ऐक्ट, ७४

"प्रतिबन्ध यह है कि वापस करने योग्य पायी गयी धनराशि प्रथमत: इस अधिनियम के अधीन या सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ के अधीन व्यापारी द्वारा देय अवशिष्ट कर या किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायेगी और केवल शेष धनराशि, यदि कोई हो, वापस की जायगी।"

(ख) उपधारा (२) में,—

(१) शब्द "आदेश के दिनांक" के स्थान पर शब्द "आदेश के दिनांक, यदि वह कर निर्धारक अधिकारी द्वारा दिया जाय और ऐसे अधिकारी द्वारा आदेश की प्राप्ति के दिनांक, यदि वह किसी अन्य सक्षम अधिकारी या न्यायालय द्वारा दिया जाय" रख दिये जायं ;

(२) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि २६ मई, १९७५ के पश्चात् किसी अवधि के सम्बन्ध में ब्याज की गणना करने के लिये यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो शब्द "छ : महीने" के स्थान पर शब्द "तीन महीने" रखे गये हों तथा शब्द "छ : प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत" रखे गये हों ; "

(३) वर्तमान स्पष्टीकरण, जिसे स्पष्टीकरण–१ संख्यांकित किया जायगा, के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् ––

"स्पष्टीकरण-२––पद "वापस" के अन्तर्गत उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन समायोजन भी है";

(ग) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ाई गई समझी जाय, अर्थात् :––

"(३) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, यथास्थिति ऐसे विक्रय--धन या क्रय-धन या दोनों पर जिसे व्यापारी ने या तो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्र में या अन्यथा किसी कार्यवाही में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किया हो, इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर या शुल्क को वापस करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।"

२६––मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,–– प्रथम अनुसूची का संशोधन

(१) क्रम-संख्या ३४ तथा ९७ के सामने स्तम्भ ३ की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और दिसम्बर, १९७४ के बीसवें दिन से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :––

"वन विभाग, उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा वन के निजी स्वामी या आयातकर्ता द्वारा बिक्री।"

(२) क्रम-संख्या ९६ के सामने स्तम्भ २ तथा ३ के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :––

"

१	२	३
९६	खपरैल (अर्देन रूफिंग टाइल्स) से भिन्न नि० अथवा आ० सभी प्रकार की टाइल्स।	

',

२७––उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम १९४८ ई० (जिसे आगे इस अधिनियम में उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम २ में,–– नियम २ का संशोधन

(१) खण्ड (घ-१) में, शब्द "भारत के अन्य किसी राज्य से" के स्थान पर शब्द "राज्य के बाहर किसी स्थान से" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायं,––

(२) खण्ड (ज) में, शब्द "ऐसे सर्किल के लिये बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा नियुक्त किया गया सहायक बिक्री-कर अधिकारी" के स्थान पर शब्द "ऐसी सर्किल के लिये बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा तैनात किया गया बिक्री-कर अधिकारी या सहायक बिक्री-कर अधिकारी" रख दिये जायें और सितम्बर, १९७४ के तीसरे दिन से रखे गये समझे जायें।

२८––उक्त नियमावली के नियम ८५ के उप नियम (१) में, शब्द "दूसरे राज्यों से" के स्थान पर शब्द "राज्य के बाहर किसी स्थान से" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें। नियम ८५ का संशोधन

नियम ८६ का संशोधन

२९—उक्त नियमावली के नियम ८६ के उपनियम (१) में शब्द "इस राज्य में दूसरे राज्य से" के स्थान पर शब्द "राज्य के बाहर किसी स्थान से इस राज्य में" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

नियम ८७-क का संशोधन

३०—उक्त नियमावली के नियम ८७-क के उपनियम (१) में, शब्द "किसी अन्य राज्य से" के स्थान पर शब्द "राज्य के बाहर किसी स्थान से" रख दिये जाये और सदैव से रखे गये समझे जायें।

कतिपय विज्ञप्तियों का संशोधन

३१—(१) मूल अधिनियम की धारा ३-क के अधीन, अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी सरकारी विज्ञप्तियों में,—

(क) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-६५५३/दस—९००(३१)-६५, दिनांक १ सितम्बर, १९६५, में शब्द "मनुष्य अथवा पशु-शक्ति द्वारा चालित कृषि उपकरणों से भिन्न उपकरण";

(ख) विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-३६०९/दस—९०० (२१)-६९, दिनांक १ जुलाई, १९६९ की अनुसूची में क्रम-संख्या १ में, शब्द "मनुष्य अथवा पशुश्रम से चालित कृषि उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण"; और

(ग) विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-२-३३२/दस—१०१२-१९७१, दिनांक १५ नवम्बर, १९७१ तथा संख्या एस० टी०-२-६२०३/दस—१०१२-१९७२, दिनांक २९ सितम्बर, १९७२ में प्रत्येक की अनुसूची में क्रम-संख्या १ में शब्द "मनुष्य अथवा पशुश्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण";

के स्थान पर शब्द "मनुष्य अथवा पशुश्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण तथा जल पम्प" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

(२) मूल अधिनियम की धारा ३-क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी विज्ञप्तियों में—

(क) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-७०९८/दस—१०१२-६५, दिनांक १ अक्तूबर, १९६५ में शब्द "मशीनों और मशीनों के ऐसे अतिरिक्त भाग" और

(ख) विज्ञप्ति संख्या एस०-टी०-२-३३२/दस—१०१२-१९७१, दिनांक १५ नवम्बर, १९७१ तथा संख्या एस० टी०-२-६६२७/दस—१०१२-१९७२, दिनांक १ दिसम्बर, १९७३ में, प्रत्येक की अनुसूची में क्रम संख्या ५२ में शब्द "मशीनें और मशीनों के ऐसे अतिरिक्त भाग", के स्थान पर शब्द "मशीनें, जिसके अन्तर्गत वाटर पम्प भी है, और मशीनों के अतिरिक्त भाग" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

(३) मूल अधिनियम की धारा ४-क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी—

(क) निम्नांकित तालिका 'क' में उल्लिखित (समय-समय पर यथा संशोधित) विज्ञप्तियों में शब्द "के सम्बन्ध में विक्रय धन" के स्थान पर शब्द "के सम्बन्ध में निर्माण करने वाले व्यापारी द्वारा राज्य के भीतर की गयी बिक्री के सम्बन्ध में विक्रय-धन"; और

(ख) निम्नांकित तालिका 'ख' में उल्लिखित (समय-समय पर यथा संशोधित) विज्ञप्तियों में शब्द "माल के सम्बन्ध में विक्रय-

धन" के स्थान पर शब्द "राज्य के भीतर की गयी माल की बिक्री के सम्बन्ध में विक्रय-धन",

रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

तालिका 'क'

१—एस० टी०-६३८७/दस-९०२(१२)-६२, दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२।

२—एस० टी०-२८६०/दस-९०२(३)-१९६०, दिनांक १९ जून, १९६५।

३—एस० टी०-३८९१/दस-९०२(५)-१९६८, दिनांक ८ अक्तूबर, १९६८।

४—एस० टी०-१८६/दस-९०० (६७)-६८, दिनांक १३ जनवरी, १९६९।

५—एस० टी०-१८७/दस-९०२(६५)-६८, दिनांक १३ जनवरी, १९६९।

६—एस० टी०-१८८/दस-९०२(९)-६८, दिनांक १३ जनवरी, १९६९।

७—एस० टी०-२४०९/दस-९०२(१५)-६८, दिनांक २८ मई, १९६९।

८—एस० टी०-१०२२५/दस, दिनांक ९ जनवरी, १९७०।

९—एस० टी०-९३७५/दस-१००८(६४)-६४, दिनांक ३१ मार्च, १९७०।

१०—एस० टी०-३५२०/दस-९०२(८)-७०, दिनांक २८ मई, १९७०।

११—एस० टी०-६६७२/दस-९०२(८-ए)-७०, दिनांक २२ सितम्बर, १९७०।

१२—एस० टी०-१८८७/दस-९०२(८-सी)-७०, दिनांक १९ मार्च, १९७१।

१३—एस० टी०-३३६४/दस-९०२(८)-७१, दिनांक १७ मई, १९७१।

१४—एस० टी०-३८१६/दस-९०२(८-ए)-७१, दिनांक २८ जून, १९७१।

१५—एस० टी०-४९५८/दस-९०२(१३५)-६९, दिनांक २ जुलाई, १९७१।

१६—एस० टी०-३५८१/दस-९०२(८-ए)-७१, दिनांक २७ सितम्बर, १९७१।

१७—एस० टी०-२७८९/दस-९०२(८-ए)-७१, दिनांक २७ नवम्बर, १९७१।

१८—एस० टी०-दो-३२०/दस-९०२(८४)-६९, दिनांक २९ नवम्बर, १९७१।

तालिका 'ख'

१—एस० टी०-३३६६/दस-९०२(८)-७१, दिनांक १७ मई, १९७१।

२—एस० टी०-३३६७/दस-९०२(८)-७१, दिनांक १७ मई, १९७१।

(४) मूल अधिनियम की धारा ४–ख के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी०–२२६२/दस–९०२(३)–५०, दिनांक १२ जून, १९६९ से सलग्न अनुसूची में क्रम–संख्या १ की प्रविष्टि में, शब्द "रा फिल्डर्ड आयल, रिफाइन्ड आयल और" निकाल दिये जायें और सदैव से निकाले गये समझे जायें ।

(५) मूल अधिनियम की धारा ३–क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी०–२–३३२/दस–१०१२–१९७१, दिनांक १५ नवम्बर, १९७१ और संख्या एस० टी०–दो–१२३३/दस–१०(१)–१९७४, दिनांक १४ अप्रैल, १९७४ की अनुसूची में पूर्ववर्ती विज्ञप्ति में क्रम-संख्या ३४ तथा ९७ के सामने तथा पश्चातवर्ती विज्ञप्ति में क्रम–संख्या ९७ के सामने स्तम्भ ३ में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय और नवम्बर, १९७४ के बीसवें दिन से रखी गई समझी जाय, अर्थात्:–

"वन विभाग, उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा वन के निजी स्वामी या आयातकर्ता द्वारा बिक्री"

(६) मूल अधिनियम की धारा ४–ख के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी० –२–३८६७/दस–९०२(७०)–७२, दिनांक ११ जून, १९७४ में––

(क) स्पष्टीकरण––(२) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :––

"(२) उत्पादन शुरू होने का दिनांक का तात्पर्य उस दिनांक से है जब विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयोग के लिये अपेक्षित कोई कच्चा माल प्रथम बार नई इकाई द्वारा क्रय किया जाय ।" ; और

(ख) परिशिष्ट १ में, क्रम–संख्या २९ की प्रविष्टि में, शब्द "छाना गया कच्चा तेल, विशुद्ध तेल तथा" निकाल दिये जायं और सदैव से निकाल दिये गये समझे जायें ।

(७) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी०–२–४९४९/दस–१०(२)–७४, दिनांक २० मई, १९७५ की अनुसूची में क्रम संख्या १ के सामने स्तम्भ २ की प्रविष्टि में, शब्द "तथा मिश्रितधातु" के स्थान पर शब्द "तथा मिश्रित धातु जिसके अन्तर्गत पीतल के बर्तन बनाने में प्रयुक्त होने वाली चादरें और घेरे (सर्किल) और स्क्रेप जिसमें केवल तांबा, टिन, जस्ता या निकिल धातुओं में से कोई हो, भी सम्मिलित है," रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायं ।

नियम तथा विज्ञप्तियों का प्रभावी होना जब तक सरकार द्वारा संशोधित न किये जायं

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या १, १९०४

३२––धारा २६, २७, २८, २९ तथा ३० में अभिदिष्ट नियम तथा विज्ञप्तियां, जैसा कि उन्हें उक्त धाराओं द्वारा परिष्कृत किया गया, तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि उन्हें संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २१ के साथ पठित मूल अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा संशोधित या विखण्डित न किया जाय ।

वैधीकरण तथा संक्रमण-कालीन उपबन्ध

३३—(१) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निणय,डिक्री या आदेश के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया, कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के या उपर्युक्त नियमों या विज्ञप्तियों के उपबन्धों के अनुरूप हों, इस प्रकार विधिमान्य तथा विधि पूर्ण समझी जायेगी और सदैव से विधिमान्य तथा विधिपूर्ण होगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

(२) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, किसी अधिकारी या न्यायालय ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन कोई कर निर्धारित किया है लगाया है या उसकी वसूली की है या ऐसे कर के निर्धारण, उसके लगाये जाने या उसकी वसूली में परिष्कार करने, रद्द करने या अभिखण्डित करने (चाहे पूर्णतः या अंशतः) का कोई आदेश दिया है और इस अधिनियम के प्रारम्भ के परिणामस्वरूप ऐसा कर निर्धारण या अन्य आदेश इस अधिनियम द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाय तो कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्री–कर कमिश्नर २६ मई, १९७५ से चार मास के भीतर कर निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये ऐसे अधिकारी या न्यायालय को आवेदन–पत्र दे सकता है और तदुपरान्त ऐसा अधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है, और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या पुनरीक्षण करने का ऐसा आदेश दे सकता है जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो।

उ० प्र० अध्यादेश, संख्या १२, १९७५।

निरसन तथा अपवाद

३४—(१) उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य, समझा जायेगा मानो यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से ३४, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५†

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह एक छोटा सा विधेयक है। इसके अन्तर्गत एक तो यह अधिकार प्राप्त होने वाला है कि सरकार कोई एडीशनल महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक को नियुक्त कर सकेगी, जिसका पहले प्राविधान नहीं था। इसके अलावा, अगर श्रीमन्, फीस में कमी हो, तो बाद में वसूल करने का प्राविधान नहीं था। इसके अतिरिक्त अधिक वसूल की गयी फीस की वापसी तथा विलेखों पर फीस से छूट अथवा उसकी दरों में कमी करने का भी प्राविधान इस अधिनियम में नहीं था। यह प्राविधान अब विधेयक के द्वारा किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३ तथा ४

अधिनियम संख्या १६, १९०८ की धारा ३ का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय :--

"(३) राज्य सरकार अपने अधीन राज्य क्षेत्र के लिये एक या अधिक रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक और रजिस्ट्रीकरण उप-महानिरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और ऐसे आफिसरों के कर्त्तव्य विहित कर सकेगी और उन्हें रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की सभी या किन्हीं शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रयोग और पालन करने का प्राधिकार दे सकेगी।"

धारा ६९ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ६९ में, उप-धारा (१) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिये जायें, अर्थात्--

"(घघ) अधिक संदत्त रजिस्ट्रीकरण फीस की वापसी का उपबन्ध करने के लिए ;

(घघघ) रजिस्ट्रीकरण फीस में कमी की वसूली का उपबन्ध करने के लिये ;

नई धारा ७८-क का बढ़ाया जाना

४--मूल अधिनियम की धारा ७८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

फीस में कमी या परिहार करने की शक्ति।

"७८-क--राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित, नियम या आदेश द्वारा, अपने प्रशासनाधीन सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में किसी लिखत या लिखतों के वर्ग के सम्बन्ध में, या किन्हीं ऐसे लिखतों के वर्ग, जब वह राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के द्वारा या पक्ष में निष्पादित किया जाय के सम्बन्ध में प्रभार्य फीस को

---

†५ अगस्त, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से कम कर सकेगी या उसका परिहार कर सकेगी।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

धारा ८०—क का बढ़ाया जाना

५—मूल अधिनियम की धारा ८० के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

भारतीय स्टाम्प अधिनियम १८९९ की धारा ४७—क के अधीन कार्यवाहियों में कलेक्टर का कर्त्तव्य

"८०—क (१) यदि कलेक्टर का भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की धारा ४७—क के अधीन कार्यवाही के दौरान यदि कोई हों, यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण के लिये संदत्त फीस कम है, तो उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी कार्यवाही के दौरान ऐसी फीस में कमी की धनराशि को अवधारित करे, और ऐसी कार्यवाही में किए गए आदेश की प्रति रजिस्ट्रीकरण आफिसर को, उस व्यक्ति से जो उक्त धारा के अधीन स्टाम्प शुल्क में कमी की धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो, उक्त धनराशि वसूल करने के लिये भेजें।

(२) उपधारा (१) के अधीन कलेक्टर का कोई आदेश भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की धारा ४७-क के अधीन कलेक्टर द्वारा किया गया आदेश समझा जायगा और अन्तिम होगा।

(३) इस धारा के अधीन वसूल की जा सकनेवाली किसी धनराशि को भू—राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।"

नई धारा ८०—ख का बढ़ाया जाना

रजिस्ट्रीकरण फीस में कमी की भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली और अधिक भुगतान की गई फीस का लौटाया जाना

"८०—ख (१) यदि निरीक्षण करने पर या अन्यथा यह पाया जाय कि इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे दस्तावेज के सम्बन्ध में, जो रजिस्टर्ड है, संदेय फीस का भुगतान नहीं किया गया है, या अपर्याप्त रूप से भुगतान किया गया है, तो उक्त फीस (मांगने पर विहित अवधि के भीतर उसका भुगतान न किये जाने पर) रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक या रजिस्ट्रीकरण उप महानिरीक्षक के प्रमाण—पत्र पर उस व्यक्ति से जिसने उक्त दस्तावेज धारा ३२ के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत किया हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा। ऐसा प्रमाण—पत्र अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति नहीं की जायगी :

परन्तु कोई ऐसा प्रमाण-पत्र तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि सम्यक जांच न कर ली जाय और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(२) यदि रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को यह पता लगे कि प्रभारित और संदत्त फीस की धनराशि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधित: प्रभार्य फीस की धनराशि से अधिक है, तो अधिक्य को वह, लिखत आवेदन करने पर या अन्यथा लौटा सकेगा। "

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ५ द्वारा बढ़ायी गयी मूल अधिनियम की धारा ८०-ख (१) में शब्द "रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक" के पूर्व शब्द तथा कामा "रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक", बढ़ा दिये जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ द्वारा बढ़ायी गयी मूल अधिनियम की धारा ८०-ख (१) में शब्द "रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक" के पूर्व शब्द तथा कामा "रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक", बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में नियत करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५†

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

यह सदन की भावनाओं के अनुरूप एक विशेष कदम उठाया जा रहा है। प्रधान मंत्री द्वारा जो घोषित कार्यक्रम है उसके बिलकुल अनुरूप है। उसका अनुपालन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्ग, भूमिहीन कृषि-श्रमिक, लघु और सीमान्त कृषक, शिल्पी, अनुसूचित जाति और अनसूचित जन जातियों के व्यक्ति, इनको ऋणग्रस्तता से अनुतोष प्रदान करने के लिये इस अधिनियम की परिधि बढ़ायी जा रही है। जो पहला अधिनियम था वह एक एकड़ भूमि रखने वाले कृषि मजदूरों तक सीमित था। अब श्रमिकों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में जो कर्जे से दबे हुए लोग हैं उनके लिये भी इस अधिनियम के द्वारा प्राविधान किया जा रहा है कि जिनके पास २ हेक्टर से ज्यादा कृषि भूमि नहीं है या जो शिल्पी हैं जो औजार बनाकर, आर्टिजन क्लास के और मरम्मत आदि करने वाले लोग हैं उनके लिये भी प्राविधान किया है ऋण से मुक्ति देने के लिये। राज्य सरकार को अधिकार होगा कि ऋण वसूली स्थगन में एक बार में ६ महीने के लिये रोक सकती है और अधिकतम दो वर्ष के लिए समय बढ़ा सकती है। इसमें साथ ही सारी परिभाषाएं भी दी हुई हैं कि भूमिहीन कृषक कौन होगा, सीमान्त कृषक कौन होगा इत्यादि और मुझे आशा है कि इस क्रान्तिकारी कदम से जो उठाया जा रहा है, करोड़ों लोगों पर असर पड़ेगा। अतः इस विधेयक को सदन कृपया पास करेगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, जहां तक विधेयक की भावनाओं का प्रश्न है, मैं समझता हूं प्रदेश की जनता इस विधेयक का स्वागत करेगी। लेकिन मान्यवर, एक बात समझ में नहीं आयी। माननीय मंत्री जी २१ सूत्री कार्यक्रम को लागू करने की बात कहते हैं, लेकिन आपने यह एक या दो वर्ष का समय क्यों रखा है? सरकार को अधिकार था, इस माननीय सदन को अधिकार है कि वह बगैर कोई सीमा रखे हुए जो कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं उनको मुक्त कर सकती है।

मान्यवर, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि वह यह है कि दोबारा आप भेद-भाव करने जा रहे हैं। और समाज के अन्दर ऐसे वर्ग हैं, जो आपने सीमा बांध दी कि दो हेक्टर तक के जो ग्रामीण लोग हैं अगर वह प्राईवेट व्यक्ति का कर्जा नहीं दे सकते हैं तो उनमें सरकारी कर्जा दे सकने की हैसियत कहां से आ गयी? प्राईवेट कर्जा आप मुल्तवी करने की बात करते हैं लेकिन तकावी और कोआपरेटिव लोन आप वसूल करने जा रहे हैं, तो यह दोहरा माप-दंड अच्छा नहीं है। यह सही है कि देहातों के अन्दर गरीबी है। पिछड़ा और कमजोर वर्ग कर्जे के बोझ से दबा हुआ है, जो जैसे आपने और ऋणों से उसको मुक्त किया है वैसे ही सरकार ऋण से भी मुक्त कर दीजिये। और यह दो साल और एक साल वाला जो आपने रखा है, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर दो साल मुल्तवी कर दिया तो उसे दो साल तक ब्याज और देना पड़ेगा

---

†५ अगस्त, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

इस दौरान का। तो अगर आप वास्तव में राहत देना चाहते हैं तो कोई ऐसा अधिनियम लायें जिसमें तमाम कर्जे चाहे वह सरकारी हों, कोआपरेटिव के हों या व्यक्तिगत हों, दो हेक्टेयर के लोगों के सब माफ हो जायं और लोगों को कर्जे से मुक्त कर दिया जाय।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसकी प्रस्तावना में और उद्देश्य में मंत्री जी ने कहा है कि यह ऋण अनुतोष अधिनियम पास किया गया था तो उसमें तो यह था कि एक एकड़ तक के जो भी अनुसूचित जाति या भूमिहीन खेतिहर मजदूर हों उनके ऋण को सरकार ने माफ किया था, महाजन के ऋण से, लेकिन इसको लाने का कारण मंत्री जी ने बताया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास दो एकड़ तक जमीन है और ऐसे भी हैं जिनके पास एक एकड़ तक भी जमीन नहीं है, जैसे शिल्पी हैं और ऐसे काम करते हैं, खेती के उपकरण बनाने का, हल इत्यादि और खेती सम्बन्धी, उनके पास जमीन कुछ भी नहीं है तो उनके कर्जे को रोकने के लिये लाये हैं। मान्यवर, गांवों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ खेती वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके पास खेती बिल्कुल नहीं है, वह शिल्पी हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिससे खेती में मदद मिले, जैसे जो हल बनाते हैं या खेती में काम आने वाली दूसरी चीजें बनाते हैं। किन्तु कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एकड़ भी खेत नहीं है ये न इस परिभाषा में आते हैं, न पहले वाली परिभाषा में आते हैं। मिसाल के लिये कहार एक जाति है। देहातों में उनके पास कोई भी खेती नहीं है लेकिन किसानों पर उनके जीवन निर्भर हैं। वे लोगों के बर्तन मांजते हैं और पानी भरते हैं।

श्री अध्यक्ष—

खंड पर इस विषय में आपका संशोधन है। उस समय मैं आपको मौका देता।

श्री माता प्रसाद—

यह तो मैंने जनरल कहा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। कहार, नाई, धोबी, बहुत से ऐसे तबके हैं जो किसानों पर निर्भर हैं। सरकार को ऐसा संशोधन करना चाहिये जिससे ऐसे वर्गों को लाभ हो।

दूसरे, सरकार ने जो ऋण अनुतोष अधिनियम बनाया है उसकी जानकारी अदालती पंचायतों के सरपंचों तक को नहीं है। कई सरपंचों ने मुझसे कहा कि कर्ज से माफी वाले अधिनियम की जानकारी उनको नहीं है। हमारे पास अधिनियम की कुछ कापियां थीं। बहुत से लोगों ने दीवानी अदालतों में, जहां मुकदमें चल रहे हैं, वहां पेश की। वकीलों ने अखबार में तो पढ़ लिया लेकिन उसकी विधि की जानकारी नहीं है। तो जितनी भी अदालतें हैं उनमें स्पष्ट रूप से यह आदेश जाने चाहिये कि जो अधिनियम पास हो चुका है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिये।

तीसरे, जैसा कि नेगी साहब ने कहा, जब हम दूसरे कर्जों को रोक रहे हैं तो जो तकावी या कोआपरेटिव सोसायटीज के कर्जे हैं और वह ऐसे कर्जे हैं जो फर्जी हैं, उनको भी ऐसे गरीब वर्गों के सम्बन्ध में रोकने की व्यवस्था करनी चाहिये।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि बहुत से गरीब वर्ग जिनका जीवन किसानों पर ही निर्भर करता है, उसको भी इस विधेयक की परिधि में लाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बिल को पेश करते हुये कहा कि ऋण अनतोष अधिनियम, १९७५ जो इस सदन से पास हो चुका है, उसकी परिधि को बढ़ाया जा रहा है। इस अधिनियम के मुताबिक जो एक एकड़ तक के काश्तकार थे उनको कर्जों से मुक्त कर के रिलीफ

दी गयी थी। अब दो हेक्टेयर तक के काश्तकारों को रिलीफ दी जाने वाली है। मुझको इसमें कंट्राडिक्शन दिखायी देता है। क्योंकि उस ऐक्ट के मुताबिक एक एकड़ तक के काश्तकारों का कर्जा बिल्कुल माफ कर दिया गया था और वह एक एकड़ तक के काश्तकार इसमें भी सम्मिलित हैं। और इसमें कहते हैं कि एक साल या दो साल तक के लिये कर्जे की वसूली सस्पेंड। तो १ एकड़ तक के काश्तकारों पर वह ऐक्ट लागू होगा, या यह ऐक्ट लागू होगा ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो २१ सूत्री कार्यक्रम घोषित किया है, उसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल वर्गों को रिलीफ देने के लिये यह कानून लाया गया है। तो ग्रामीण जीवन के निर्बल लोगों को जो रिलीफ देने का आपका इरादा है वह परमानेन्ट है या टेम्पोरेरी है ? हमारी समझ में यह रिलीफ टेम्पोरेरी दिया जा रहा है। इस वक्त जो उनको दिखा दिया जायेगा कि हम तुम्हारे लिये यह यह कर रहे हैं, तुमको कर्ज से मुक्त कर रहे हैं, मगर फिर साल भर या दो साल के बाद क्या होगा ? उसके बाद तो महाजन फिर उनसे वसूली करेगा, कुर्की आदि करवायेगा, डिग्री करवायेगा। इस विधेयक में इस बात का कोई प्रोविजन नहीं है कि उसके बाद क्या होगा। यह टेम्पोरेरी रिलीफ दिखाकर जनता को भ्रम में डाला जा रहा है। इसका हाल भी वही होगा कि जैसे सैलाब जब आता है तो वसूली सस्पेंड कर दी जाती है, बाद में दो-दो, तीन तीन साल की जब एक साथ वसूली होती है तो किसान कहता है कि इससे तो अच्छा यह था कि वसूली उस वक्त स्थगित न होती। वही हाल यहां होगा कि बाद को मय ब्याज के पूरी वसूली की जायेगी।

इसके अलावा दूसरे ऋणों से तो आप मुक्ति दिला रहे हैं, मगर आपका कोआपरेटिव विभाग भूमि विकास बैंक के जरिये जो लोन देता है उसका क्या होगा ? कोई काश्तकार अगर एक दो किश्त किसी कारण से नहीं दे पाया तो उसका खेत नीलाम करवा लिया जाता है। भूमि विकास बैंक के नियमों में ऐसा प्राविधान है। २ हेक्टर तक के किसान ने अगर भूमि विकास बैंक से कर्ज ले लिया है तो उसे भी रिलीफ मिलेगी। उसमें आप कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं। उसकी भूमि नीलाम हो जायेगी। इसलिये इस ओर भी आप सोचिये और नियमों में संशोधन कीजिये। इस पर तथा जो बात अभी मैंने कही है कि दो साल बाद क्या होगा, अभी तो सरकार वाह-वाही लूट लेगी, मगर बाद के लिये क्या होगा, सरकार विचार करने की कृपा करे।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस विधेयक पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। मैं सरकार का आभारी हूं कि उसने एक ऐसा विधेयक पेश किया है जिससे हमारी सरकार की नीति के अनुसार जो गरीब दबा हुआ है तथा शोषित तबका है उसको लाभ होगा, इसके पहले एक एकड़ तक के किसानों को ऋण मुक्त किया गया था, अब वह २ हेक्टर तक बढ़ा दिया गया है। गांव में हम जानते हैं कि किस तरह से महाजन १०० रुपये देकर जीवन भर उसका शोषण करता था। इससे उसको बचाने का प्रयास किया गया है। मैं केवल उसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि कौन कौन जो ऋण मुक्त नहीं किये गये हैं, वह खंड ५ में दिया गया है (क) से लेकर (घ) तक। अब इनमें यह नहीं है कि कौन-कौन से ऋण हैं जिनको मुक्त माना जायगा जैसे व्यक्ति गत ऋण को केवल एक वर्ष के लिये स्थगित किया गया है, मान लीजिये फिर उसे स्थगित किया जाय और अगर उस ऋण से उसे मुक्त न किया जाय तब तो उस पर उसका ब्याज ही इतना बढ़ जायेगा कि हो सकता है कि एक दिन उसके घर में जो सम्पत्ति रहेगी वह भी नीलाम हो जाय। यहां होना तो यह चाहिये था कि जो स्थगित करने की बात कही गयी है, उसके मुक्त करने की बात कही जाती और इस तरह के ऋण जिनका उल्लेख इस विधेयक में में नहीं किया गया है, उससे भी उसे मुक्त कर दिया जाता जसे कोई सरकारी कर्जा है जो स्थगित कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिये या कुछ साल के लिये और जब रुपया वसूल किया जाता है तो उसका ब्याज ही मूलधन के बराबर हो जाता है। और जितनी सम्पत्ति उसकी है वह एक दिन नीलाम हो जाती है। उसके पास कुछ बच नहीं पाता।

[श्री देव बहादुर सिंह]

इसलिये मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो खंड ३ (ग) है—"किसी ऋण के लिये किसी डिग्री के निष्पादन में गिरफ्तार या निरुद्ध संरक्षित ऋणी मुक्त कर दिया जायेगा और ऐसे निष्पादन में की गयी किसी संरक्षित ऋणी की किसी सम्पत्ति की कुर्की उस अधिनियम के प्रारम्भ पर तुरन्त समाप्त हो जायेगी। परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा एक वर्ष की उक्त अवधि की ऐसी अग्रेतर के लिये, जैसी वह उचित समझे, बढ़ा सकती है, जो एक बार छः मास से अधिक न होगी, किन्तु इस प्रकार की वह अग्रतर अवधि कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।" यानी वह स्थगन को बढ़ा सकती है, मुक्त करने की व्यवस्था इसमें नहीं है।

तो मैं इन सुझावों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आगे जहां-जहां जो भी इसमें कमियां आयेंगी सरकार उस पर विचार करेगी और जहां आवश्यक समझेगी, उसमें संशोधन भी करेगी।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस विधेयक की धारा ५ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, सरकारी कर्जा जो है वह इसके जरिये स्टैण्ड करेगा, वह नहीं सस्पेंड हो रहा है। सारे के सारे नहीं मान्यवर, लेकिन कुछ कर्जे दूसरे ऐसे जरूर हैं जिनको कि सस्पड जरूर होना चाहिये कम से कम इस अवधि के लिये। खास कर सहकारी कर्जे, वह मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है कि सहकारी विभाग के द्वारा, चाहे लैन्ड मार्गेज बैंक के द्वारा, चाहे सहकारी समितियों द्वारा कर्जे दिये गये हैं— और जिलों की बात न कह कर मैं अपने जिले की बात कह रहा हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, सैकड़ों आदमियों के नाम पर फर्जी कर्जे निकाल दिये गये हैं और वे सारे के सारे लोग इसी वर्ग के हैं जिनका कि उल्लेख इस विधेयक में किया गया है। पचासों आदमियों के ऊपर हजार दो हजार रुपये बाकी हैं और उन्होंने प्रोनोट लिख कर रखे हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे भी इस सम्बन्ध में पता लगा लें कि रामनगर ब्लाक के अन्दर करीब ढाई साल से हम लोग रिप्रेजेण्टेशन कर रहे हैं कि करीब १५० हरिजनों और भूमिहीनों के मामले सरकारी कर्जे के सम्बन्ध में चल रहे हैं, वे फर्जी हैं। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने भी करीब ६० मामले सही पाये कि वे सारे के सारे फर्जी हैं। इसके लिये हमारी मांग है कि जिनके ऊपर इस तरह से हजारों रुपये कर्जे के नाम पर बकाया है उनको केवल सस्पेन्ड ही न किया जाय बल्कि कृपा करके सरकार इन कर्जों के बारे में एक ऐसा कानून बना दे कि इस वर्ग के लोगों को जो कर्जे सहकारी समितियों की ओर से दिये गये हों, या ब्लाक से जो उनको उधार खाद दी गयी हो, या एग्रीकल्चरल लोन दिया गया हो या तहसील से तकावी दी गयी हो, उन सब को सस्पेंड किया जाय। क्योंकि मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि सरकारी अधिकारी या गांव के चन्द ऐसे लोग जो हमेशा तहसील व ब्लाक के अधिकारियों से या सहकारी अधि कारियों से मिल जुल कर हजारों लोगों के नाम पर फर्जी अंगूठे लगा कर फर्जी कर्जे निकाले हैं, इन सारे के सारे कर्जे को सस्पेन्ड किया जाय और सरकार अलग से इसकी जांच करावे क्योंकि उनकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वे मुख्य मन्त्री या सहकारी मन्त्री जी से लिखा पढ़ी करें और एप्पलीकेशन्स दें या किसी न्यायालय में जायं। तमाम कमजोर वर्ग की यही हालत है। ये सारी बातें मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। हम लोगों ने पार्टी की ओर से रिप्रेजेंटेशन करके या किसी तरीके से वह कराया। लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि वह १००-२०० रुपये खर्च करें और अपने मुकदमें की पैरवी कर सकें। तो मान्यवर, उनके खिलाफ मामलों को सस्पेन्ड करके सारे, ब्लाक, एग्रीकल्चर और तकावी लोन्स जो हैं, उनके लिये कोई कमेटी गठित करके उनकी जांच करायें कि उनमें से कितने फर्जी हैं और कितने असली हैं उसके बाद उनकी रिकवरी करें। लेकिन साल भर के लिये स्थगित कर दें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं नेता साम्यवादी दल को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके शीर्षक से ही यह पता चलता है कि यह अधिस्थगन-विधेयक है। 'उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक'। तो यह पहले विधेयक का पूरक विधेयक है। पहले विधेयक में जो लघु कृषक हो उनके पास १ एकड़ तक भूमि है उनको सुविधा मिली है लेकिन जो आर्टिजन शिल्पी हैं और इसी तरह के मजदूर हैं उन पर यह विधेयक लागू नहीं होता था। अब क्या होगा कि इस विधेयक की परिधि में जो आर्टिजन हैं, वह सब आ जायेंगे। माननीय माता प्रसाद जी ने जिनकी परिभाषा बतायी है, भी इसमें कवर हो जायेंगे। इसमें परिभाषा को स्पष्ट कर दिया गया है, अगर वह पढ़ेंगे 'शिल्पी' की परिभाषा रख दी है।

"शिल्पी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन परम्परागत औजार उपकरण और अन्य वस्तुओं या सामान का निर्माण या मरम्मत करना है जो कृषि या उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जायें, और शिल्पी के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो सामान्यतया अपनी जीविका कोई शिल्पी या तो स्वयं अपने श्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम करके किसी ग्रामीण क्षेत्र में चलाता है।"

तो जो परिभाषा है वह व्यापक कर दी गयी है जिससे विलेज आर्टीजन या इसी तरीके के लोग इसके अन्दर शामिल हो जायं, जहां तक उद्देश्य और कारण है उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऋण-ग्रस्तता का समापन करने के लिये क्रमिक उपाय किये जायें और इस बीच न्यायालय के माध्यम से उनके कतिपय श्रेणी के ऋणों की वसूली अस्थायी अवधि के लिये रोक दी जाय।

तो अभी ऋणों की वसूली रोक दी गयी है, समापन कैसे होगा इसके लिये दूसरी योजना बना रहे हैं। अभी श्रीमन्, आपने भी यह देखा होगा कि केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने प्रधान मन्त्री का जो आर्थिक कार्य-क्रम है, उसी के अनुरूप घोषित किया है कि ५० ग्रामीण बैंकों की स्थापना देश में दूसरे अक्तूबर तक हो जायेगी। यह बैंक जो हैं यह दूसरे कामर्शियल बैंकों से भिन्न होंगे। तो महाजन के स्थान पर कौन सी व्यवस्था की जाय, इन वर्गों को किस तरह के ऋण दिया जाय, सही टर्म्स पर, इस काम को दूरा करने के लिये एक ढांचा खड़ा किया जाना चाहिये। तो ढांचा खड़ा करने में समय लगेगा। तो ऋण कैसे दिये जायं, ऋण की प्रतिपूर्ति कैसे हो, इसके लिये एक साल में या २ साल में एक ढांचा बन जाय इसीलिये इस अवधि तक के लिये रोक दिया जाय, ऐसा किया जा रहा है। इसी बीच जो सुझाव आयेंगे उन पर विचार होगा।

मनी लेन्डर्स विधेयक चल रहा है। दूसरे सदन में इसमें विचार भी हुआ था। तो इस अवधि के बीच हम ऋणों को स्थगित कर रहे हैं और ढांचा क्या होगा उस पर विचार करेंगे और सदन में जो कदम उठाये जायेंगे उनकी स्वीकृति ली जायगी। तो यह अनुपूरक विधेयक है। जहां तक प्रश्न यह उठाया गया है कि कोई कांट्राडिक्शन तो नहीं है, तो इसमें कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं है। पहला तो विधेयक है वह अपने स्थान पर लागू है। इसमे एक अतिरिक्त फायदा है इसमें 'भूमिहीन कृषि श्रमिक' की परिभाषा रख दी गयी है। वह इसलिये रख दी गयी है कि कोई मनीलेन्डर या महाजन पिछले अधिनियम के पारित होने के बाद यानी १ अक्तूबर, १९७४ के बाद कोई प्रोनोट लिखा ले तो वह कवर नहीं होता था उस विधेयक से तो अब इस विधेयक में वह कवर हो जायेगा। प्रोनोट को कैश कराने की कोई बात नहीं कर पायेगा। इसलिये एक एकड़ की जमीन वाला भी यदि किसी महाजन के ललचाने से प्रोनोट लिखा दिया हो तो उसको भी इसमें सुरक्षा मिलती है और कानून में उसकी व्यवस्था हो सकती है। मैं आग्रह करूंगा कि यह फिलहाल टेम्पोरेरी मेजर के रूप में रिलीफ पहुंचाने का है, अत: सदन इसको स्वीकार करे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

परिभाषायें

२—इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(१) "शिल्पी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन परम्परागत औजार उपकरण और अन्य वस्तुओं या सामान का निर्माण या मरम्मत करना है जो कृषि या उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जायं, और शिल्पी के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो सामान्यतया अपनी जीविका कोई शिल्पी या तो स्वयं अपने श्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से करके किसी ग्रामीण क्षेत्र में चलाता है ;

(२) "सिविल न्यायालय" के अन्तर्गत —

(क) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, १९२० के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय,

(ख) यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन स्थापित कोई न्याय पंचायत,

(ग) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, १८८७ के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय,

भी है ;

(३) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी समिति से है ;

(४) "ऋण" का तात्पर्य नकद अथवा वस्तु के रूप में किसी अधिदाय से है, चाहे उसके लिए डिक्री हुई हो अथवा नहीं, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा संव्यवहार भी है जो सार रूप में ऋण हो ;

(५) "भूमिहीन कृषि श्रमिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है ;

(६) "सीमान्त कृषक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है और जिसके पास उत्तर प्रदेश में एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि नहीं है ;

(७) "संरक्षित ऋणी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में साधारणतया निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जो भूमिहीन कृषि श्रमिक, शिल्पी या लघु या सीमान्त कृषक हैं ;

(८) "ग्रामीण क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो उसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में दिया गया है ;

(९) "लघु कृषक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है और जिसके पास उत्तर प्रदेश में भूमि एक हेक्टेयर से अधिक है, किन्तु दो हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की नहीं है।

कामरेड चन्दन सिंह (जिला ललितपुर)--

मान्यवर, खंड २ के उपखंड (९) के आगे निम्नलिखित रख दिया जाय--

"किन्तु बुन्देलखंड के जिलों में ऐसी सीमा का क्षेत्रफल डेढ़ हेक्टयर से तीन हेक्टेयर तक होगा।"

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको रख रहा हूं।.....

कामरेड चन्दन सिंह--

मान्यवर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे बुन्देलखंड में जब कोई सीलिंग का कानून बनता है तो बड़े किसानों को सुविधा देने के लिये ड्योढ़ी सुविधा दी जाती है जैसे लेवी में छूट का प्रश्न आता है तो ड्योढ़ी दी जाती है। लेकिन लघु कृषकों की रियायत का प्रश्न जब आता है तो पूरे प्रदेश के बराबर माना जाता है जबकि स्थिति यह है कि वहां जमीन दो किसानों के खाते में १० एकड़ है लेकिन वह केवल २-३ एकड़ में ही खेती कर पाता है। शेष जमीन पथरीली या ऊसर है अथवा वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। इसलिये वहां का १० एकड़ का किसान ऐसा है जो कि कर्ज में फंसा है। अत: मैं इस संशोधन को रख रहा हूं कि बुन्देलखंड को जैसी सुविधायें दी जा रही हैं उसको ड्योढ़ी कर दी जायं। आशा है कि मन्त्री जी छोटे किसानों की तरफ ध्यान देंगे और इस न्याय पूर्ण मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (९) के आगे निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"किन्तु बुन्देलखंड के जिलों में ऐसी सीमा का क्षेत्रफल डेढ़ हेक्टेयर से तीन हेक्टेयर तक होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, धारा ६ में भी सीमान्त कृषकों की जो परिभाषा है उसमें भी यह परिभाषा लाना होगा और एक की जगह पर डेढ़ लाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

यह बाद में होगा। पढ़ने पर देखना पड़ेगा कि नियमानुकूल है कि नहीं।

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (९) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (१०) के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"(१०) "कृषक आश्रित" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसकी जीविका ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों पर आधारित है, यथा नाई, कहार, कुम्हार, भड़भूजा, तेली आदि।"

श्री अध्यक्ष--

इसमें कृषक आश्रित नहीं आया है।

खंड २(अ) में यह सम्मिलित है। अत: संशोधन अनियमित है और अस्वीकृत है।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३ व ४

ऋण का स्थगन

३—तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में अथवा ऐसी संविदा या डिक्री या अन्य लिखित में जो ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी हो, किसी बात के होते हुए भी —

(क) किसी संरक्षित ऋणी के विरुद्ध किसी ऋण की वसूली के लिये या उससे सम्बन्धित कोई वाद, अपील, आवेदन या निष्पादन या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि में संस्थित, प्रस्तुत या प्रारम्भ नहीं की जायेगी ;

(ख) ऐसा कोई वाद, अपील, आवेदन या निष्पादन या अन्य कार्यवाही जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर विचाराधीन हो, एक वर्ष की अवधि में स्थगित की जायेगी और रहेगी ;

(ग) किसी ऋण के लिये किसी डिग्री के निष्पादन में गिरफ्तार या निरुद्ध संरछित ऋणी मुक्त कर दिया जायगा और ऐसे निष्पादन में की गई किसी संरक्षित ऋणी की किसी सम्पत्ति की कुर्की इस अधिनियम के प्रारम्भ पर तुरन्त समाप्ति हो जायेगी ;

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा एक वर्ष की उक्त अवधि की ऐसी अग्रतर के लिये, जैसी वह उचित समझे, बढ़ा सकती है, जो एक बार छः मास से अधिक न होगी, किन्तु इस प्रकार की वह अग्रतर अवधि कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

परिसीमा अवधि का अपवर्जन अपवाद

४—धारा ३ में विनिर्दिष्ट किसी वाद, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिये, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् संक्षिप्त, प्रस्तुत या प्रारम्भ की जाय और जो उक्त धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अन्यथा संस्थित, प्रस्तुत या प्रारम्भ की गई होती, परिसीमा अवधि की गणना में उक्त अवधि का अपवर्जन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ व ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५—इस अधिनियम की किसी बात का प्रभाव निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाले किसी संरक्षित ऋणी के किसी ऋण या अन्य दायित्वों पर नहीं पहुंचेगा अर्थात् :—

(क) ऐसे ऋणी को किराये पर दी गई किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय कोई किराया ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा साक्षित कोई संव्यवहार या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बन्धक का कोई संव्यवहार ;

(ग) न्यास-भंग से उदभूत कोई दायित्व अथवा कोई अपकृत्य सम्बन्धी दायित्व ;

(घ) की गई सेवाओं के लिये वेतन के रूप में या अन्यथा मजदूरी अथवा पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कोई दायित्व ;

(ङ) भरण-पोषण के सम्बन्ध में कोई दायित्व, चाहे वह न्यायालय की डिक्री के अधीन हो अथवा अन्यथा ;

(च) निम्नलिखित को देय कोई ऋण--

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा कोई राज्य सरकार ;

(२) कोई स्थानीय प्राधिकारी,

(३) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९७२ में तथा परिभाषित कोई बैंकिंग कम्पनी ;

(४) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९७२ में यथा परिभाषित कोई निगम ;

(५) कोई सहकारी समिति;

(६) कम्पनी अधिनियम, १९५६ के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी ;

(७) भारतीय जीवन बीमा निगम;

(छ) कोई ऋण जो ऐसे ऋणी द्वारा क्रय किये गए माल की कीमत के बारें में हो ;

(ज) सम्पत्ति के विभाजन या बटवारे के कारण देय कोई प्रतिकर, अथवा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा २९-क में निर्दिष्ट कोई प्रतिकर ;

(झ) भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली कोई धनराशि ।

श्री माता प्रसाद--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (च) के भाग (१) में शब्द "अथवा राज्य सरकार" हटा दिये जायं तथा उक्त खंड के उपखंड (च) के भाग (२) और (५) निकाल दिये जायं ।

मेरा तात्पर्य यह है कि जो राज्य सरकार अथवा कोआपरेटिव सोसाइटीज के जो कर्जे हैं उनको भी महाजनों के कर्जे की तरह रोक दिये जायं कोआपरेटिव सोसाइटीज के कर्जे ज्यादातर फर्जी कर्जे हैं जिससे गरीब बहुत परेशान है। लिहाजा सरकार राज्य सरकार तथा कोआपरेटिव के कर्जे भी महाजनों के कर्जे की परिधि में ले आये ।

श्री अध्यक्ष--

आप यह संशोधन कहां कर रहे हैं। आप जरा संशोधित रूप इसका पढ़ें क्योंकि जो संशोधन रखा गया है वह असम्बद्ध है। संशोधन का रूपान्तर जो है उस को जरा समझ लीजिये और बैठ कर विचार कर लीजिये ।

श्री माता प्रसाद--

मैं अब इसे इस प्रकार रख रहा हूं :--

खड ५ के उपखंड (च) (१) में शब्द "अथवा कोई राज्य सरकार" निकाल दिये जायं तथा उपखंड (च) के भाग (२) व भाग (५) निकाल दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--

अब संशोधन नियमति है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, इससे तो सहकारी समितियों के ऋण भी माफ हो जायेंगे ।

श्री माता प्रसाद--

मैं संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधन खंड ५ के उपखंड (च) (१) में शब्द "अथवा कोई राज्य सरकार निकाल दिये जायें और उपखंड (च) के भाग (२) और भाग (५) निकाल दिये जायें" को वापस लेने की अनुमित दी जाये।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५

भूमिहीन कृषि-श्रमिक, लघु और सीमान्त कृषकों और ग्रामीण शिल्पियों से ऋण की वसूली के अधिस्थगन का उपबन्ध जनता के ऐसे निर्बल वर्गों की ऋणग्रस्तता के समापन के लिये अग्रतर कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) अधिनियम, १९७५ कहा जायगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५†

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह संशोधन विधेयक इसलिये लाया गया है कि अनेकों कठिनाइयां अधिनियम में प्रतीत हो रही थीं उनके निराकरण के लिये यह विधेयक लाया गया है। पांच रुपये से अधिक की धनराशि पर या कैशमेमो के प्रतिलेख अथवा द्वितीय प्रति पर दस पैसे का टिकट लगाना पड़ता था। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि पैसों की कमी हो जाती है उसके लिये इस विधेयक के जरिये यह प्राविधान है कि व्यापारी प्रत्येक तिमाही में कोषागार चालान के माध्यम से यह शुल्क जमा कर सके। इसके अतिरिक्त जो हमारे मुख्य स्टाम्प निरीक्षक या स्टाम्प डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको भी अधिकार दिये जा रहे हैं। पहले ये अधिकार उनको उपलब्ध नहीं थे। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी बिल या कैशमेमो पर स्टाम्प लगाने से इन्कार करता है या नहीं लगाता है तो पहले किसी दन्ड की व्यवस्था नहीं थी किन्तु इसके द्वारा प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये ५०० रुपये जुर्माना रखा गया है। इससे स्पष्ट है कि यह विधेयक व्यापारी वर्ग को राहत पहुंचाने के लिये है। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

*सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, जो १० पैसा टिकट लगाने की बात है वह ५ रुपये की रसीद के बजाय १० रुपये की रसीद पर होना चाहिये क्योंकि ५ रुपया पर टिकट लगाने से एक मामूली आदमी भी उसमें आ जाता है और छोटे लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि ५ रुपये के स्थान पर १० रुपये की रसीद पर होना चाहिये। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि अगर टिकट उपलब्ध नहीं हैं तो लोगों को यह सहूलियत हो जाय कि वे इकट्ठे पैसे जमा कर सकें। इससे रिश्वतखोरी बढ़ेगी। अगर एक दफे में वह जमा नहीं करता है तो ५०० रुपये का जुर्माना बहुत ज्यादा है इसे दो सौ–तीन सौ तक होना चाहिये। तो यह जुर्माना कम होना चाहिये।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उसी के अनुरूप यह विधेयक लाया गया है। इसी में स्पष्ट है कि जो कठिनाई व्यापारियों को होती है उसको दूर करने के लिये प्रत्येक ३ माह में ट्रेजरी के जरिये वह जमा कर दें। ३ माह में इस शुल्क को जमा करना ही होगा। बड़े व्यापारी तो २/४ हजार रुपया जमा कर सकते हैं। अगर नहीं करता है तो ५०० रुपये कोई ज्यादा नहीं है। वह तो एवरेज निकाला हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†५ अगस्त, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड २ से ७ तक

अधिनियम संख्या २, १८९९ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा २ में, खण्ड (२६-क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् —

"(२७) 'तिमाही' का तात्पर्य वित्तीय वर्ष की तिमाही से है।"

धारा ६-क का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ६-क में, उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(१-क) जहां कोई लिखत उत्तर प्रदेश से भिन्न भारत के किसी अन्य भाग में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और ऐसा लिखत उत्तर प्रदेश में स्थित किसी सम्पत्ति से पूर्णतः अथवा अंशतः सम्बन्धित है, वहां ऐसे लिखत की प्रति, उत्तर प्रदेश में प्राप्त होने पर, धारा १९-क के अधीन मूल रूप से देय स्टाम्प शुल्क का अन्तर, उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति के प्रतिफल या मूल्य की सीमा तक और उसके अनुपात में देय होगा और मूल लिखत पर स्टाम्प शुल्क का देनदार पक्षकार, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से नोटिस प्राप्त होने पर, अनुज्ञात समय के भीतर शुल्क के अन्तर का भुगतान करेगा।

धारा ११-क का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

कैशमेमो पर शुल्क का नकद भुगतान

११-क—(१) धारा ११ में किसी बात के होते हुये भी, किसी बिल या कैश मेमो के प्रतिलेख या दूसरी प्रति पर (जिसके अन्तर्गत प्रतिपर्ण या कार्बन प्रति भी है) अनुसूची १-ख के अनुच्छेद २५-क के अधीन देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान या तो ऐसा लिखत देने की तारीख की स्टाम्प द्वारा या प्रत्येक तिमाही में एक बार नकद द्वारा, ऐसे समस्त लिखत के लिये जो पिछली तिमाही में दिये गये हों, ऐसे शीर्षक के अधीन जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दें, खजाने या उप-खजाने में किया जा सकेगा।

(२) नकद शुल्क जमा करने के लिये तैयार किये गये खजाना चालान के साथ ऐसा विवरण-पत्र दिया जायगा और सत्यापन के प्रयोजन के लिये उसे ऐसी अवधि के लिये परिरक्षित किया जायगा और उसका उचित लेखा ऐसे प्रारूप में रखा जायगा जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।"

धारा ३३ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ३३ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(३) जहां संदत्त स्टाम्प शुल्क में कोई कमी किसी लिखत की प्रति से सूचना में आये, वहां कलेक्टर, स्वविवेक से या किसी न्यायालय या मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश या राजस्व परिषद् के स्टाम्प विभाग के किसी अधिकारी के निर्देश पर, मूल लिखत को, उस पर संदत्त शुल्क की पर्याप्तता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकता है और कलेक्टर के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया गया लिखत उसके कृत्यों के निर्वहन में उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया या आया समझा जायेगा।

(४) यदि लिखत कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह स्टाम्प शुल्क की कमी को, यदि कोई हो, लिखत की प्रति पर धारा ४० के अधीन शास्ति सहित भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु यह कि लिखत के निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।"

६—मूल अधिनियम की धारा ४७-क में — धारा ४७-क का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित बाजार मूल्य से कम हो" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुसार अवधारित न्यूनतम बाजार मूल्य से भी कम हो" रख दिये जायं ;

(ख) उपधारा (४) में शब्द, "या मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के अभिदेश पर" के स्थान पर शब्द "या किसी न्यायालय या मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश या राजस्व परिषद् के स्टाम्प विभाग के किसी अधिकारी के निर्देश पर" रख दिये जायं।

७—मूल अधिनियम की धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :— धारा ४८ का संशोधन

"४८—इस अधिनियम के अधीन संदान के लिए अपेक्षित सभी शुल्क, शास्ति और अन्य धनराशि की कलेक्टर के द्वारा उस व्यक्ति की, जिससे वह प्राप्य हो, जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, या भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य आदेशिका द्वारा वसूल किया जा सकेगा।"

शुल्क एवं शास्ति की वसूली

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, ५, ६ और ७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

८—मूल अधिनियम की धारा ६४ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात् :— नई धारा ६४-क तथा ६४-ख का बढ़ाया जाना।

"६४—(क) कोई व्यक्ति जो किसी बिल या कैशमेमो के प्रतिलेख या दूसरी प्रति पर (जिसके अन्तर्गत प्रतिपर्ण या कार्बन प्रति भी है), उसके जारी होने की तारीख को धारा २५-क के अनुसार स्टाम्प लगाने से या तो इन्कार करता है, या उपेक्षा करता है या धारा ११-क के अनुसार शुल्क का नकद भुगतान करने में असफल रहता है, या जहां उसका नकद भुगतान किया जाय, वहां धारा ११-क की उपधारा (२) के अनुसार उसका उचित लेखा रखने में असफल रहता है, प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये जुर्माने से दन्डनीय होगा जो ५०० रुपये तक हो सकेगा।

धारा ११-क और २५-क का अनुपालन न करने के लिये शास्ति

कम स्टाम्प शुल्क की रकम की वसूली

६४-ख—(१) जहां इस अधिनियम के अधीन शुल्क का भुगतान करने के लिये देनदार व्यक्ति को किसी लिखत के सम्बन्ध में (जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-१ की प्रविष्टि ९१ में विनिर्दिष्ट लिखत न हो) धारा ६२ या ६४ के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध किया जाय, वहां मजिस्ट्रेट किसी ऐसे दन्ड के अतिरिक्त, जो ऐसे अपराध के लिये अधिरोपित किया जा सके, ऐसे व्यक्ति से उस लिखत के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय शुल्क और शास्ति की, यदि कोई हो, धनराशि की वसूली का निर्देश देगा, और इस धनराशि को मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किसी जुर्माने के रूप में भी वसूल किया जा सकेगा।

(२) ऐसी वसूली पर कलेक्टर लिखत पर पृष्ठांकित करके यह प्रमाणित करेगा कि उसके सम्बन्ध में, यथास्थिति, उचित शुल्क या शास्ति उद्गृहीत की गयी है।"

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ८ द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा ६४-क में—

(क) धारा का सख्यांकन "६४-(क)" के स्थान पर "६४-क" कर दिया जाय,

(ख) उक्त धारा के पार्श्व शीर्षक में अंक तथा अक्षर "२५-क" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "अनुसूची १-ख के अनुच्छेद २५-क" रख दिया जाय,

(ग) उक्त धारा में शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा २५-क" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "अनुसूची १-ख के अनुच्छेद २५-क" रख दिये जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, स्वीकार हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "खंड ८ द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा ६४-क में —

(क) धारा का संख्यांकन "६४—(क)" के स्थान पर "६४-क" कर दिया जाय,

(ख) उक्त धारा के पार्श्व शीर्षक में अंक तथा अक्षर "२५-क" के स्थान पर शब्द अक्षर तथा अंक "अनुसूची १-ख के अनुच्छेद २५-क" रख दिये जायं,

(ग) उक्त धारा में शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा २५-क" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "अनुसूची १-ख के अनुच्छेद २५-क" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ का, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, १९७५

खेल कूद मन्त्री (श्री लोकपति)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लोकपति—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६९६–७०१ पर)।

७ अगस्त, १९७५ को लिये जाने वाले कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय वित्त मन्त्री कल के कार्यक्रम की सूचना देंगे।

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, कल यहां पर जो कार्य सम्पन्न करेंगे उसकी सूचना देना चाहता हूं ---

पहले नागर अचल सम्पत्ति पर सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित निम्नलिखित संकल्प पर विचार,

"चूंकि यह विधान सभा समझती है कि नागर अचल सम्पत्ति की एक सीमा होनी चाहिये।

और, चूंकि ऐसी सीमा का आरोपण तथा उस सीमा से अधिक नागर अचल सम्पत्ति का अर्जन ऐसा विषय है, जिसके सम्बन्ध में, संसद को संविधान के अनुच्छेद २४९ और २५० में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है,

और चूंकि इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में उपरोक्त विषय संसद द्वारा निर्मित विधि से विनियमित होना चाहिये,

अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि नागर अचल सम्पत्ति पर सीमा आरोपण तथा सीमा से अधिक ऐसी सम्पत्ति का अर्जन एवं उससे सम्बन्धित समस्त विषय अथवा तत्सम्बन्धी समस्त गौण और प्रासंगिक विषय उत्तर प्रदेश राज्य में संसद द्वारा निर्मित विधि से विनियमित होना चाहिये।" यह संकल्प प्रस्तुत होगा।

(२) तत्पश्चात, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७५ पर विचार एवं उसका पारण। तत्पश्चात्,

(३) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण विधेयक, १९७५ पर विचार एवं उसका पारण प्रस्तावित होगा। तत्पश्चात्,

(४) उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, १९७५ पर विचार एवं उसका पारण, प्रस्तावित होगा।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १२ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
६ अगस्त, १९७५।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६५१ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७५

अभावग्रस्त शक्कर फैक्टरियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिये ऋण सहायता देने के लिए एक विशेष निधि के सृजन का उपबन्ध करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३ में—

(क) उपधारा (१) में, खंड (क) में, शब्द "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "एक रुपया पच्चीस पैसे" रख दिये जायं।

(ख) उपधारा (१०) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(१०) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विधि द्वारा यथा-विधि विनियोग करने के पश्चात् राज्य सरकार उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन उद्गृहीत करके आगम के बराबर धनराशि राज्य की संचित निधि से और के बाहर इस सीमा तक निकालेगी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा वसूल की गई कर की दर साठ पैसे प्रति एक क्विन्टल गन्ना से अधिक हो और उसको निम्नांकित नाम की तीन पृथक निधियों में निम्नलिखित अनुपात में जमा करेगी, अर्थात्—

(क) निकाली गई धनराशि का एक-तिहाई भाग, उस सीमा तक जहां तक कि कर की दर प्रति क्विन्टल गन्ने पर एक रुपये से अधिक न हो, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि के खाते में ;

(ख) निकाली गई धनराशि का दो-तिहाई भाग, उस सीमा तक जहां तक कि कर की दर प्रति क्विन्टल गन्ने पर एक रुपये से अधिक न हो, उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्टरियां पुनः स्थापन आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के खाते में ;

(ग) शेष धनराशि, अर्थात् उस सीमा तक सम्पूर्ण धनराशि जहां तक कर की दर प्रति क्विंटल गन्ने पर एक रुपये से अधिक हो, उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये ऋण सहायता निधि के खाते में :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये ऋण सहायता निधि में अन्तरित की जाने वाली कुल धनराशि पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक न होगी और इसके बजाय उससे अधिक कर से उपलब्ध कोई धनराशि इस सीमा तक कि वह एक रुपया प्रति क्विन्टल की उक्त दर से अधिक हो, खंड (क) और (ख) में उल्लिखित निधियों में इन खंडों में उल्लिखित अनुपात में क्रमशः अन्तरित कर दी जायगी ।

(ग) उपधारा (११) में, शब्द "दोनों पृथक निधियों" के स्थान पर शब्द "तीनों निधियों" रख दिये जायं ।

(घ) उपधारा (१२) में शब्द "उक्त दोनों निधियों" के स्थान पर शब्द "उक्त तीनों निधियों" रख दिये जायें ।

विधान सभा सचिवालय

उद्देश्य और कारण

शक्कर की अनेक फैक्टरियां उत्पादकों को गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान नहीं कर पाती हैं। उद्योग और गन्ना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि एक ऐसी निधि की व्यवस्था की जाय जिसमें से गन्ना मूल्य का सामयिक भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। अतएव, इस प्रयोजनार्थ प्रति क्विंटल गन्ने पर कर की वर्तमान दर में पच्चीस पैसे की वृद्धि करके एक विशेष निधि सृजित करने और ऐसी वृद्धि की सीमा तक कर की प्राप्तियों को उक्त निधि में अन्तरित करने का प्रस्ताव किया जाता है। जब यह विशेष निधि १५ करोड़ रुपये के लक्ष्य तक पहुंच जायगी तब ऐसी वृद्धि से प्रोद्भूत अतिरिक्त धनराशि को वर्तमान उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि तथा उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्टरियां पुनःस्थापन आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि में उनके अपने-अपने पूर्व विनिर्दिष्ट अनुपात में अन्तरित कर दिया जायगा।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
भारी उद्योग, शक्कर उद्योग तथा गन्ना विकास मंत्री।

संसदीय पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६५१ पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण विधेयक, १९७५

किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन स्थापित परिनियत निकायों पर (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ द्वारा शासित विश्वविद्यालय को छोडकर) राज्य सरकार के नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिनियत निकायों को निदेश देने की शक्ति

२—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुन: अधिनियमित तथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ द्वारा शासित विश्वविद्यालयों को छोड़कर किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित प्रत्येक परिनियत निकाय (चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, नीति के प्रश्नों पर इस बात के होते हुए भी कि ऐसे परिनियत निकाय को स्थापित या गठित करने वाली विधि के अधीन राज्य सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, ऐसे निदेशों द्वारा पथ प्रदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायं ।

(२) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई मामला ऐसा है अथवा नही जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार धारा (१) के अधीन कोई निदेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

उद्देश्य और कारण

किसी बोर्ड, निगम या किसी अन्य निकाय का गठन या स्थापना करने वाले अधिकांश अधिनियमों में राज्य सरकार को नीति विषयक मामलों पर ऐसे निकायों को निदेश देने की विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है। किन्तु कुछ अधिनियमों में, राज्य सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है अतएव, राज्य सरकार को, लोक हित में, नीति विषयक मामलों पर समस्त परिनियत निकायों को निदेश देने की सामान्य शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मंत्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६८९ पर)

उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, १९७५

उत्तर प्रदेश में पार्क, खेल के मैदान और खुली जगह के संरक्षण और विनियमन का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, १९७५ कहा जायेगा।

(२) यह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन प्रत्येक नगर महापालिका में और यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया में और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ के अधीन प्रत्येक टाउन एरिया में सम्मिलित प्रत्येक क्षेत्रों में और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जिनको राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, लागू होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

२—इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "खुली जगह" का तात्पर्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी भूमि से (चाहे घिरी हुई हो या न हो) है जिस पर कोई इमारत नहीं है या जिसके बीसवें भाग से अधिक पर कोई भवन नहीं है और जिसका सम्पूर्ण या शेष भाग मनोरंजन, वायु या प्रकाश के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाता है ;

(ख) "पार्क" का तात्पर्य उस भू-खंड से है जिस पर कोई इमारत नहीं है या जिसके बीसवें भाग से अधिक पर कोई इमारत न हो और जिसके सम्पूर्ण या शेष भाग का विन्यास वृक्ष, पौधे, फूलों की क्यारी सहित उद्यान के रूप में या लाने के रूप में या घास के मैदान के रूप में किया गया हो और जिसका अनुरक्षण मनोरंजन, वायु या प्रकाश के लिये सार्वजनिक समागम-स्थान के रूप में किया जाता हो ;

(ग) "खेल का मैदान" का तात्पर्य उस भूखंड से है जिसका अनुकूलन खेल-कूद या क्रीड़ा के प्रयोजनार्थ और उपयोग किसी शिक्षण संस्था या क्लब या अन्य समुदाय द्वारा किया जाता है ;

(घ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है।

३—(१) किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे क्षेत्र के सभी पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों की सूची, रेखाचित्र और मानचित्र सहित, ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति स जो विहित की जाय, तैयार तथा प्रकाशित की जायगी । पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों की सूचियों को तैयार और प्रस्तुत करना

(२) कोई हितबद्ध व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन सूची के प्रकाशन के दिनांक से तीन माह के भीतर ऐसी सूची से सम्बद्ध या उसमें अंकित किसी बात के बारे में अपनी आपत्तियों और सुझावों को विहित प्राधिकारी के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है ।

(३) विहित प्राधिकारी उपधारा (२) के अधीन प्राप्त आपत्तियों और सुझाओं, पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् और ऐसी अग्रेतर जांच, यदि कोई हों, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् सूची का अनुमोदन परिष्कार सहित या रहित कर सकता है ।

(४) उपधारा (३) के अधीन विहित प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित सूची ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण सहित होगी और ऐसी रीति में प्रकाशित की जायगी जैसी विहित की जाय ।

(५) यथास्थिति, उपधारा (१) या उपधारा (४) के अधीन प्रकाशित किसी सूची में निर्दिष्ट या उसका अंगीभूत कोई रेखा चित्र, मानचित्र या दस्तावेज जनता के निरीक्षण के लिये ऐसे स्थान और समय पर जो विहित किया जाय, उपलब्ध होगा ।

४—(१) कोई व्यक्ति जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के प्रति कोई आपत्ति हो, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय, राज्य सरकार को लिखित अभ्यावेदन कर सकता है । सरकार द्वारा सूची का पुनरीक्षण

(२) ऐसे अभ्यावेदन पर राज्य सरकार विहित प्राधिकारी से मामले का अभिलेख मंगा और सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और यदि आवश्यक हुआ तो ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, सूची का पुनरीक्षण कर सकती है ।

(३) उपधारा (२) के अधीन यथा पुनरीक्षित सूची को गजट में और ऐसी अन्य रीति से जो विहित की जाय, प्रकाशित किया जायगा ।

५—(१) राज्य सरकार किसी समय या तो स्वतः या स्थानीय प्राधिकारी या किसी हितबद्ध व्यक्ति के अनुरोध पर धारा ३ के अधीन अनुमोदित य धारा ४ के अधीन पुनरीक्षित सूची को परिवर्द्धित, परिवर्तित या विखंडित कर सकता है । सूची का परिवर्तन या विखंडन

(२) ऐसा कोई परिवर्द्धन, परिवर्तन या विखंडन करने के पहले राज्य सरकार विहित रीति से ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन या विखंडन के प्रारूप को एक नोटिस के साथ, जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जिसको या जिसके पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जायगा, प्रकाशित करेगी और ऐसी आपत्तियों और सुझाओं पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उस प्रारूप के संबंध में प्राप्त हो जायें, विचार करेगी ।

६—कोई पार्क, खेल का मैदान या खुली जगह जो, यथास्थिति, धारा ३ या धारा ४ के अधीन प्रकाशित सूची में विनिर्दिष्ट हों, विहित प्राधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना, जिस प्रयोजन के लये उसका उपयोग इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पहले किया जा रहा था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाई जायगी । कुछ मामलों में पार्क, खेल के मैदान और खुली जगहों के उपयोग का प्रतिषेध

पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों का अनुरक्षण

७—स्थानीय प्राधिकारी उन पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों का जो उसकी हों या उसमें निहित हों और धारा ३ या धारा ४ के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित हों, स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण करेगा।

इमारतों आदि के निर्माण का प्रतिषेध

८—कोई व्यक्ति विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई इमारत नहीं बनायेगा या कोई संरचना नहीं करेगा जिससे धारा ३ या धारा ४ के अधीन प्रकाशित सूची में विनिर्दिष्ट पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह की उपयोगिता के प्रभावित होने की संभावना हो।

पार्क, खेल के मैदान आदि के स्वामी का आभार

९—(१) किसी पार्क या खेल के मैदान की स्थिति में जो किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित न हो किन्तु धारा ३ या धारा ४ के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित हों, विहित प्राधिकारी नोटिस द्वारा ऐसे पार्क या खेल के मैदान के स्वामी या अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह—

(i) ऐसे पार्क या खेल के मैदान का स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण करें; या

(ii) किसी ऐसे पार्क या खेल के मैदान में या पर प्रक्षेप, अधिक्रमण या अवरोध को निराकृत या परिवर्तित करे या नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक के भीतर ऐसे पार्क या खेल के मैदान में किसी इमारत में ऐसी मरम्मत करे जो विहित प्राधिकारी आवश्यक समझे।

(२) यदि स्वामी या अध्यासी उपधारा (१) के अधीन नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहे तो विहित प्राधिकारी स्वयं ऐसे अभिकरण द्वारा जो वह उचित समझे, इस बात की व्यवस्था कर सकता है, अर्थात्—

(i) ऐसे पार्क या खेल के मैदान का स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण ;

(ii) प्रक्षेप, अधिक्रमण या अवरोध का निराकरण या परिवर्तन ;

(iii) ऐसी मरम्मत करना जो वह आवश्यक समझे, और ऐसे अनुरक्षण, निराकरण, परिवर्तन या मरम्मत का व्यय ऐसे स्वामी या अध्यासी से ऐसी रीति में जो विहित की जाय, वसूल किया जायगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन वसूली योग्य व्यय की धनराशि के बारे में किसी विवाद का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(४) विहित प्राधिकारी उपधारा (२) में जैसा इंगित है, वैसी कार्यवाही करने के बजाय या अलावा भूमि का अर्जन पार्क या खेल के मैदान के रूप में भूमि के प्रभावकारी प्रबन्ध के योजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन करा सकता है।

(५) किसी खेल के मैदान का स्वामी या अध्यासी, जो खेल के मैदान का उपयोग खेल के मैदान से भिन्न किसी रूप में परिवर्तित करने का इच्छुक हो, राज्य सरकार को खेल के मैदान में अपने अधिकार, हक और हित को क्रय करने के लिये नोटिस दे सकता है और यदि राज्य सरकार ऐसे नोटिस पाने के दिनांक से छः मास के भीतर ऐसे अधिकार, हक और हित को क्रय करने के लिये अपनी तैयारी और रजामन्दी को संज्ञापित नहीं करता है तो वह ऐसे खेल के मैदान को ऐसे उपयोग में ला सकता है जैसा वह चाहे।

वार्षिक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना

१०—(१) विहित प्राधिकारी धारा ३ या धारा ४ के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों के सम्बन्ध में एक वार्षिक विवरणी ऐसे प्रपत्र में और ऐसे ब्योरों सहित, जो विहित किये जायें, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट विवरणी के साथ उन पार्कों और खेल के मैदानों की जिनके सम्बन्ध में धारा ९ की उपधारा (२) के अधीन कार्यवाही की गई थी एक सूची भी होगी और उसके साथ-साथ उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के प्रकार और उनके उचित अनुरक्षण के बारे में उठाये गये कदम के सम्बन्ध में ब्योरे होंगे ।

अप्राधिकृत व्यक्तियों को हटाना

११—यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के या उसमें निहित किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में, राज्य सरकार द्वारा या, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन करके प्रवेश करता है या रहता है तो उसे, किसी अन्य कार्यवाही पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती है, कोई पुलिस अधिकारी या, यथास्थिति, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी की ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो, ऐसे पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह से हटा सकता है ।

शास्ति

१२—जो कोई धारा ४ या धारा ५ के अधीन प्रकाशित सूची में विनिर्दिष्ट किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में कोई कूड़ा फेंकता है या जंगला या बाड़ा का अतिक्रमण करता है या उसमें फल, फूल, पौधे, घास या किसी भी अन्य वस्तु को चुराता है या क्षति पहुंचाता है या उसमें कोई अपदूषण करता है, उसे ऐसी अवधि के लिये करावास का जो एक मास तक हो सकता है या जुर्माने का या दोनों का दण्ड दिया जायगा ।

पार्क आदि का अन्तरिम संरक्षण

१३—इस अधिनियम के अधीन पार्कों, खेल के मैदान और खुली जगहों की सूची तैयार और प्रकासित होने तक (जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी कर दी जायगी ।) किसी भूमि का, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व खुली जगह हो या जिसका उपयोग पार्क या खेल के मैदान के रूप में किया जाता हो, ऐसे पार्क या खेल के मैदान के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये विहित प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो उपयोग किया जायगा और न बरता जायगा ।

नियम बनाने की शक्ति

१४—(१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतः और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध किया जा सकता है—

(अ) पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों में व्यक्तियों के प्रवेश, और उनमें और उनके आस-पास व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रण या विनियमन ;

(ख) किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में पशुओं या किसी वर्ग के पशुओं के प्रवेश का निर्बन्धन या प्रतिषेध ;

(ग) किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह से किसी ऐसे व्यक्ति को हटाना जो उसमें इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये

किसी प्राधिकारी के किसी आदेश या निदेश का उल्लंघन करके हों ;

(घ) समय जिसके भीतर धारा १० के अधीन वार्षिक विवरणी राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी ;

(ङ) धारा ९ की उपधारा (२) के अधीन अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(च) इस अधिनियम द्वारा स्पष्टतः अपेक्षित या अनुमत सभी विषय जिन्हें विहित किया जाना हो ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

इस समय उत्तर प्रदेश में नागर क्षेत्रों में पार्कों, खेल के मैदानों और खुले मैदानों के संरक्षण के लिये कोई विधायन नहीं है। वर्तमान पार्कों तथा खेल के मैदानों का अधिक्रमण और उन्हें निर्मित क्षेत्रों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य तथा खेल–कूद सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के हित में भी इन पार्कों, खेल के मैदानों और खुले मैदानों का परिरक्षण आवश्यक है। अतः यह प्रस्ताव है कि नागर क्षेत्रों में राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह का किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग करने को प्रतिषिद्ध किया जाय और उचित रूप में उनके अनुरक्षण की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

लोकपति त्रिपाठी,
स्पोर्ट्स मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—एल० २१३ वि० सभा—(६६३)—१९७६—८४५।